



सितम्बर 2014

नई दिल्ली

देश में नई सरकार के तीन महीनों ने आने वाले दिनों की तस्वीर साफ कर दी है और हमारा यह अंदेशा सच साबित हो रहा है कि राजनीति पर कारपोरेटि नकेल देश की सभी पार्टियों ने सहर्ष चुना है. चुनाव अब मात्र इस बात की प्रतिस्पर्धा हैं, कि कौन कारपोरेट पूंजी के एजेंडे को बेहतर लागू करेगा। देसी-विदेशी कारपोरेट हितों को कांग्रेस से भी सख्त और तेज़ हरवाहा चाहिए था, जो उन्हें मिल गया है. नई सरकार ने आते ही घोषणा की कि वह 'बिजनेस फ्रेंडली' है और पर्यावरण मंत्रालय के नए मुखिया ने कंपनियों को हरी झंडी देने की होड़ लगा दी. राजस्थान के नए भू-अधिग्रहण विधेयक ने किसानों के रहे सहे अधिकार भी छीन लिए हैं और श्रम कानूनों में 'सुधार' के तहत उन मूलभूत कायदों का गला घोट दिया गया है जिनसे मजदूरों को न्यूनतम सुरक्षा मिलती थी - आठ घंटे की कार्य-अवधि, ओवरटाइम से मना करने और उसे सीमित रखने का हक, छुट्टियों और भत्तों व्यवस्था - सबपर मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है।

लड़ाई की विभाजन रेखा साफ होने के साथ-साथ जनसंघर्ष भी कमर कस रहे हैं. शेखावटी के किसानों ने अच्छे दिन आने का इंतज़ार नहीं किया और राजस्थान सरकार की लालची नज़र से अपनी जमीनें बचाने के लिए खड़े हो उठे हैं. ऐसे ही मध्य प्रदेश में अडानी और रिलायंस की कंपनियों के लिए ज़मीनें छीनने के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज़ हुआ है. पिछली सरकार के चहेते एजेंडे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नई सरकार का रुख बिलकुल कांग्रेस सरकार जैसा है जबकि भाजपा ने विपक्ष में परमाणु डील और दुर्घटनाओं की स्थिति में कंपनियों को मुआवजे छूट देने का विरोध किया था. हाल में दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान यूरेनियम डील का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और मोदी की जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में लोगों ने भारत-जापान परमाणु समझौते का विरोध किया। जनांदोलनों पर गहराते राज्य-हिंसा के साए और आन्दोलनों के दमन के खिलाफ देश भर के जनांदोलनों का एक कन्वेंशन अगस्त के अंत में आयोजित हुआ जिसमें छात्रों, आंदोलनकारियों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी उत्साहवर्धक रही. संघर्ष संवाद का यह अंक जनांदोलनों के इन्हीं बढ़ते कदमों को समर्पित है।

## राजस्थान

- राजस्थान के मज़दूर कंपनियों के हवाले, सरकार ने बदले श्रम कानून
- राजस्थान सरकार का किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधेयक
- राजस्थान के किसान-विरोधी भूअधिग्रहण विधेयक के खिलाफ साज़ा प्रदर्शन
- जमीन छिनने के खोफ से बेचैन शेखावटी के किसान
- माही-कडाना बांध विस्थापितों की आखिर कब सुध लेगी सरकार!
- किसान विरोधी नीतियों के विरोध में धरना

## हरियाणा

- गोरखपुर परमाणु संयंत्र के विरोध में मुख्य सचिव को जापान
- विदेशी निवेश रिझाने की चूहेदानी पर लटकी ज़िंदगियाँ: निरपराध बंदी मारुति-सुजुकी के 147 मज़दूर

## मध्य प्रदेश

- ये प्यास है बड़ी : नर्मदा का हर रोज 30 लाख लीटर पानी निगलेगा कोका कोला
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान कोल लिमिटेड की पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया !
- सरदार सरोवर परियोजना: समीक्षा की अनिवार्यता
- रिलायंस की लूट और अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण जनता एकजुट
- अपनी भूमि पर बेघर आदिवासी
- पेंच डूब प्रभावित किसान : किसान प्रशिक्षण शिविर
- जुड़ती नदियाँ, बिखरता जीवन: केन-बेतवा नदीजोड़ परियोजना और आदिवासी विस्थापन
- भू-अर्जन रद्द करने के लिए किसान संघर्ष समिति - एनएपीएम का चेतावनी धरना

## ओडिशा

- आप आंदोलन में हैं, तो दमन का सामना करने के लिए तैयार रहें : अभय साहू

## नई दिल्ली

- निवेश का माहौल खराब करने के आरोप में प्रदर्शनकारी लिए गए हिरासत में
- भारत - ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील से दोनों देशों के स्थानीय लोगों को नुकसान : ऑस्ट्रेलिया से आया भारतीय आंदोलनकारियों के नाम समर्थन पत्र
- सैन्यवाद, परमाणुकरण और राजकीय दमन के विरोध में उठी आवाजें
- नरेंद्र मोदी के नाम फुकुशिमा से एक पत्र

## राजस्थान के मज़दूर कंपनियों के हवाले, सरकार ने बदले श्रम कानून

राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न श्रम एवं औद्योगिक कानूनों में संशोधन कमोवेश उन परिस्थितियों में लौटना है जहां से संघर्ष कर दुनियाभर के मजदूरों ने अपने अधिकार प्राप्त किए थे। देशभर की ट्रेड यूनियनों, जनसंगठनों एवं गैरसरकारी संगठनों की इस विषय पर चुप्पी चौकाने वाली है। बढ़ते पूंजीवाद व उपभोक्तावाद की दौड़ में मानव अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पेश है गौतम मोदी का आलेख जिसे हम सप्रेस से साभार आपसे साझा कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम में संशोधन का निर्णय समय की गति को दो सौ वर्ष पीछे ले गया है। संशोधन के अनुसार अब विनिर्माण प्रक्रिया में वर्तमान 10 की बजाए 20 कामगार जुड़े होने पर ही कारखाना अधिनियम में पंजीयन अनिवार्य होगा। यानि कि अब 19 कामगारों तक कारखाने के अंदर सुरक्षा प्रबंध से संबंधित कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। इस संशोधनों ने काम के घंटों, साप्ताहिक छुट्टी और बेहतर कार्य स्थितियों से संबंधित कानूनी संरक्षण को भी कमतर कर दिया है। सार्वभौमिक सुरक्षा के संघर्ष के परिणाम के तौर पर अनेक देशों में उन्नीसवीं शताब्दी में प्रथम कारखाना अधिनियम अस्तित्व में आया था। दूसरी ओर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन हमें दो शताब्दी पीछे ले जा रहे हैं। सन् 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जोखिमों के दृष्टिगत कारखाना अधिनियम 1948 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे और नियोक्ता की जवाबदारी सुनिश्चित की गई थी। कारखाना अधिनियम में संशोधन के साथ ही राजस्थान ने ठेका (संविदा) मजदूर (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 की महत्वपूर्ण धाराओं में भी संशोधन किए हैं। ठेका मजदूर अधिनियम में संशोधन के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की सीमा 50 या अधिक कर दी गई है। जबकि देशभर में (राजस्थान सहित) वर्तमान में यह सीमा 20 या इससे अधिक है। ऐसे वातावरण में जहां कि लघु एवं मध्यम उद्योगों

द्वारा कामगारों संख्या कम करके बताई जाती है, एक ही पते पर अनेक कारखानों की अनुमति प्राप्त हो जाती है और बिना किसी रुकावट से कारखाने के अंदर एक और कारखाना संचालित हो जाता है वहां 100 से भी ज्यादा कामगारों के काम करने के बावजूद वह संस्थान अब कारखाना अधिनियम एवं ठेका मजदूर अधिनियम के दायरे में बाहर ही रहेगा। प्रशिक्षु अधिनियम में हुए संशोधनों के अनुसार, प्रशिक्षुओं को मिलने वाला प्रशिक्षु मुआवजे को नियोक्ता भी 'साझा' कर सकता है। इसी के साथ नियोक्ता को इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई है कि वह प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु को बर्खास्त भी कर सकता है और इसमें अस्थाई या संविदा श्रेणी में रखे गए प्रशिक्षु भी शामिल हैं। आजकल कम वेतन और अधिकारों से मुक्ति पाने के लिए यूनियन से बचने एवं सामुहिक मोलतोल के मद्देनजर विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाता है। इस संशोधनों का लक्ष्य इस प्रक्रिया को कानूनी संरक्षण उपलब्ध करवाना है। हालांकि सरकार कौशल निर्माण और नौकरीशुदा कर्मिकों की बात कर रही है, लेकिन इस संशोधन में प्रभावशाली ढंग से कुशल कामगारों को कामगारों की परिभाषा से बाहर कर उन्हें प्रशिक्षुकों की श्रेणी में डाल दिया है। राजस्थान की भाजपा सरकार का देश के श्रम कानूनों के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के प्रयास को औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए) 1948 के अनुच्छेद 5-बी में संशोधन से साफ समझा जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 25 के अनुसार जिस भी कारखाने में 100 से अधिक कामगार हों

उसे संस्थान बंद करने या कर्मचारियों की छंटनी हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय 5-ब में तालाबंदी, छंटनी या बंद करने को लेकर दो स्पष्ट प्रावधान हैं, (अ) संस्थान द्वारा इस हेतु बताए गए कारणों की विश्वसनीयता एवं उपयुक्तता (ब) कामगारों के हित। राजस्थान सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान प्रावधान जो कि 100 कामगार है को बढ़ाकर 300 पर ले जाना चाहती है और इस हेतु वह कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताना चाहती। इस संशोधन के लागू होते ही 299 या उससे कम कामगारों वाले कारखाने जो कि अध्याय 5-अ से संचालित होते थे को कर्मचारियों को बर्खास्त करने/ छंटनी करने या ले-ऑफ (तालाबंदी) एवं संस्थान को बंद करने के लिए किसी पूर्व सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में हुए संशोधनों में 'धीरे कार्य करो' की विस्तृत परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 5 में इसे 'खराब श्रम प्रक्रिया' बताया गया है। यदि किसी कामगार को 'धीरे कार्य करो' जिसमें 'नियम से काम करो' भी शामिल है को अपनाने के लिए छंटनी, ले-ऑफ या बर्खास्त किया जाता है (इसमें उत्पादन का तयशुदा या औसत या सामान्य स्तर का उत्पादन भी शामिल है या लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है) तो भी तो यह संशोधन प्रस्तावित करता है कि कामगारों को किसी भी प्रकार के मुआवजे की पात्रता नहीं होगी।

वर्तमान संशोधन राजस्थान सरकार के सन् 1958 के उस प्रगतिशील कदम को भी वापस ले लेगा जिसमें कि ठेका श्रमिक को भी कामगार की परिभाषा में शामिल किया गया था। इसी के साथ संस्थान में कामगारों की संख्या की गणना में ठेका श्रमिकों की गणना छूट की वजह से नियोक्ता अपने यहां इनकी संख्या 299 से नीचे रखने में आसानी से सफल हो जाएंगे। इतना ही नहीं मान्यताप्राप्त यूनियन के लिए जहां पहले 15 प्रतिशत कामगारों की ही सदस्यता अनिवार्य थी अब इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे ट्रेड यूनियनों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार किया गया प्रत्येक

संशोधन कामगारों के अधिकारों पर मूलभूत हमला है और नियोक्ताओं द्वारा अक्सर की जाने वाली अनुचित श्रम प्रक्रियाओं को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है।

राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन देश के संविधान के अनुच्छेद 254 का उल्लंघन है। ज्ञातव्य है इसे बाद में न्यायिक समीक्षा ने भी उचित ठहराया था। इसमें स्पष्टतौर पर कहा गया है कि राज्यों को राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन का अत्यंत सीमित अधिकार है और यह कठिनाईयों को निवारण और राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के विचार हेतु ही किए जा सकते हैं। पिछले दो दशकों के विकास के ढांचे ने निवेश को लेकर राज्यों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है और इसकी परिणति भूमि अनुदान, करों में छूट और गुजरात के मामले में तो निजी कंपनियों को बड़ी रकम के असुरक्षित ऋण या कमोवेश ब्याज रहित ऋणों के रूप में हुई है। राजस्थान भी अब नियमन में कमी कर रहा है जिससे मजदूरी में कमी आएगी और इससे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी कटु होगी। जहां तक कामगारों के अधिकारों की बात है पिछले दो दशकों से श्रम अधिकार लागू करने वाली प्रणाली पूरी तरह से निष्क्रिय है। यह तथ्य भी है कि छंटनी या बंद किए जाने वाले वातावरण का सामना केवल वहीं किया जा सकता है जहां पर कि लोकतांत्रिक यूनियनों आक्रामक तरीके से अपने सदस्यों को अधिकार दिलवाएं। लेकिन यूनियन की अनुपस्थिति में बड़ी संख्या में कामगार सुरक्षाहीन हो जाएंगे। राजस्थान की भाजपा सरकार का निर्णय न तो निष्कपट है और न ही यह महज राजस्थान तक सीमित है। इसे केंद्र सरकार के उस निर्णय के तारतम्य में देखा जाना चाहिए जिसमें कि उसने कारखाना अधिनियम एवं प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन की अनुमति दी है। यह औद्योगिक कर्मचारियों पर राजनीतिक हमला है और उनके द्वारा यूनियन की सदस्यता लेने के उस अधिकार का अतिक्रमण भी है जिसके माध्यम से वह कार्यस्थल पर एवं रोजगार संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाते थे।

## राजस्थान सरकार का किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधयेक

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए "राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधयेक" का मसौदा जारी किया गया है। यदि यह विधयेक लागू होता है तो पिछले वर्ष पारित केन्द्रीय कानून "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" जिसे जनता के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक माना जा सकता है, राज्य में लागू नहीं होगा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित श्रम कानूनों में संशोधन विधयेक की तरह ही यह विधयेक विधानसभा द्वारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है।

हालांकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में भी कुछ कमियां हैं परन्तु फिर भी इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम सभा के साथ विमर्श कर के विकास की परियोजनाओं के लिये प्रभावित परिवारों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण करना तथा प्रभावितों का पुनर्वास एवं प्रभावितों का पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना है, जबकि राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधयेक के प्रस्तुत मसौदे में तेजी से औद्योगिक विकास के लिये राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना तथा मुआवजा प्रदान करना ही उद्देश्य रखा गया है।

नीचे "राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधयेक, 2014" के मसौदे के कुछ मुख्य प्रावधानों की केन्द्र के "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के साथ तुलना की गयी है।

क्र.स.	प्रावधान	राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधयेक ड्राफ्ट, 2014	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
01	उद्देश्य	इसका उद्देश्य राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना तथा मुआवजा प्रदान करना।	इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम सभा के साथ विमर्श कर के विकास की परियोजनाओं के लिये प्रभावित परिवारों को कम से कम बाधा पहुंचाये मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण करना तथा उनका पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना।
02	मुआवजा	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य के बराबर</li> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में यदि भूमि शहरी निकायों के पाँच किलोमीटर के दायरे में है तो अधिग्रहण पर मुआवजा भूमि के बाजार मूल्य का केवल 1.25 गुना से 2.5 गुना ही होगा</li> <li>वहीं अगर भूमि इस दायरे के बाहर है तो मुआवजे की राशि बाजार मूल्य का 2.25 से 4.5 गुनी होगी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की राशि को बाजार मूल्य से दो गुना</li> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना</li> </ul>
03	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राशि के रूप में मुआवजे के लिये निर्धारित राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तथा अन्य परियोजनाओं में 30 प्रतिशत अतिरिक्त देने का प्रावधान है</li> <li>यदि एक पूरा गांव या एक से अधिक गांव विस्थापित होते हैं तो यदि संभव हुआ तो सरकार विस्थापितों का पुनर्वास कर सकती है। इस प्रकार राज्य सरकार ने पुनर्वास के कानूनी बाध्यता को समाप्त कर देना चाहती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अनिवार्य है</li> <li>विस्थापित परिवारों के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे: पक्की सड़क, स्वच्छता योजनाएं, सुरक्षित पेयजल, पशुओं के लिए पेयजल एवं चारागाह, दुकानें, पंचायत घर, डाक घर, आंगनवाड़ी आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है।</li> <li>परियोजनाओं के माध्यम से आजीविका के साधन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा</li> </ul>

04	सामाजिक प्रभाव अध्ययन	विकास परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव अध्ययन को पूरी तरह से नकार दिया गया है	सामाजिक प्रभाव अध्ययन का प्रावधान रखा गया है
05	सहमति	निजी.सार्वजनिक भागीदारी के परियोजनाओं के लिये ली जा रही भूमि के लिये सिर्फ 60 प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति लेनी होगी	निजी.सार्वजनिक भागीदारी के परियोजनाओं के लिये ली जा रही भूमि के लिये 70 प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति लेनी होगी
06	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा अथवा पंचायतों की भूमि अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं होगी	भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत की अनुमति लेना आवश्यक है
07	भूमि वापसी	कोई प्रावधान नहीं	यदि कब्जा लेने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा तो उसे मूल स्वामी या स्वामियों या उनके वारिसों या सरकार के भूमि बैंक में वापस किया जायेगा।
08	भूमि के लिये भूमि	कोई प्रावधान नहीं	भूमि के अर्जन की वजह से सीमांत या भूमिहीन हो जाने की स्थिति में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रावधान
09	जिला कलेक्टर के अधिकार	जनहित के मापदण्ड एवं गतिविधियां तथा भूमि का बाजार मूल्य एवं मुआवजा निर्धारित करने का पूरा अधिकार	भूमि का बाजार मूल्य एवं मुआवजा निर्धारित करने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान जिसको जिला कलेक्टर नहीं बदल सकता
10	आपात धारा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कलेक्टर को विशेष शक्तियां</li> <li>• कलेक्टर किसी भी आवश्यक भूमि को 15 दिन के नोटिस पर कब्जा कर किसी भी परिवार को विस्थापित कर सकता है</li> <li>• आपात स्थिति स्पष्ट नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कलेक्टर किसी भी आवश्यक भूमि को 30 दिन के नोटिस पर कब्जा कर किसी भी परिवार को विस्थापित कर सकता है</li> <li>• आपातधारा का इस्तेमाल केवल दो स्थितियों में किया जा सकता है . एक तो प्राकृतिक हादसे की स्थिति में और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में</li> <li>• सरकार के निर्देशन में</li> </ul>
11	सज़ा का प्रावधान	भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले तथा प्रक्रिया में बाधा डालने वाले को तीन से छः महीनों की कैद या दस हज़ार से तीन लाख रू तक का जुर्माना	ऐसा कोई प्रावधान नहीं

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केन्द्रीय कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो भूमि अधिग्रहण से हुए विस्थापितों तथा प्रभावितों के हित में है तथा उनके पुनर्वास एवं उनके आजीविका से जुड़े प्रावधान दिये गये हैं। और अब यह कानून 1 जनवरी 2014 से लागू हो चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार को एक नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को राज्य में केन्द्र कानून को लागू करने के लिए उचित नियम बनाने चाहिये तथा राज्य में विकास के लिए जमीन खोने वालों को और अधिक लाभ पहुँचाने के प्रयास करने चाहिये न कि केन्द्रीय कानून द्वारा दिये गए अधिकारों में कटौती करनी चाहिये।

## राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक 2014 को वापस लेने के संदर्भ में जन-संगठनों की विधान सभा पर रैली राष्ट्रीय नेता: मेधा पाटकर, अमराराम ने नेतृत्व किया

भूमि अर्जन कानून वापस लो, के नारे लगाते हुए 18 सितम्बर 2014 को सैकड़ों किसान, युवा, महिलायें सहकार भवन से विधान सभा पहुंचे। रैली का नेतृत्व जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की मेधा पाटकर व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमराराम कर रहे थे। रैली को विधान सभा के बेरीकेड के पहले ही रोका जिसका विरोध सभी ने किया। पुलिस ने डण्डों से पीछे से हमला किया जिससे एक महिला की आँख पर चोट आई। हम इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। रैली में राज्य के झून्झूनु, सीकर, नीम का थाना, उदयपुर, राजसंमद, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, पाली में चल रहे विस्थापन के विरुद्ध इलाकों से अनेक पुरुष/महिला शामिल हुए। सभी की नाराजगी थी कि 2014 का विधेयक खेती किसानों को खत्म कर देगा। इन सभी ने प्रश्न उठाया कि कैसे एक कानून में विरोध पर 6 महीने की सजा और 3 लाख रुपये जुर्माना लागू किया जा सकता है, यह तो लोगों के बुनियादी अधिकार के विरुद्ध है।

वक्ताओं को सम्बोधित करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि “राजस्थान सरकार का लाया हुआ नया कानून ब्रिटिश कालीन कानून के तरफ जाने की और उसकी तरफ जाने के लिए 2013 में आया नया भूमि अर्जन कानून बदलने की तैयारी है। 2013 में, संसद में ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013’, के तहत किसानों, मजदूरों, शहरी-गरीबों को विस्थापन से बचने तथा विकास नियोजन में सहभागी होने का जितना भी अवकाश दिया वह राजस्थान का कानून खत्म करने जा रहा है। न केवल सामाजिक असर को बल्कि अन्न सुरक्षा की दृष्टि से खेती बचाने के लिए यह विधेयक खिलाफ है। 15 दिनों में सार्वजनिक हित के नाम पर जमीन छिनने का और विरोध दर्शाने वाले को जेल भेजने का अधिकार, शासन को जनतंत्र में भी नहीं हो सकता। इसलिए जबरन भू अधिग्रहण, भू अधिकार चाहिए। इसी भूमिका के साथ तमाम जन आंदोलन और समविचारिक राजनैतिक दलों का एकत्रित संघर्ष पर उतरना जरूरी है।

वर्तमान राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में संसदीय, सर्वदलीय स्थायी समिति, ने 2013 का केन्द्रीय भू-अर्जन कानून का मसौदा तैयार कर पारित करवाया था। लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा ने आते ही अपना जनविरोधी रुख बताया। इससे जनता को समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तो होगा ही लेकिन आगे बढ़ने पर आने वाले चुनाव में भी भाजपा को किसान जरूर सबक सिखायेंगे।”

अखिल भारतीय किसान सभा के अमराराम ने “इस विधेयक को पूरी तरह खारिज करते हुए किसी भी सूरत में हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने दरअसल राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है। दरअसल विशेष सत्र इस कानून को पारित कर कम्पनियों को जल्दी से जल्दी किसानों की जमीन उनके हवाले कर देने के लिए बुलाया गया। ‘न्यायिक नियुक्ति विधेयक 2014’ को पारित करना तो सिर्फ एक बहाना था। उन्होंने कहा कि तहसील और गांव स्तर पर बड़ा आंदोलन करना होगा। जिसकी शुरुआत किसान सभा ने कर दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधेयक के प्रावधानों की मंशा सिर्फ एक है कि कैसे उद्योगपति एवं भू-माफिया को राजस्थान की उपजाऊ जमीनों को उनके निजी लाभ के लिए जल्दी से जल्दी हस्तांतरित किया जाये।

इस विधेयक की मूल समस्याएं निम्न हैं:-सभा को सम्बोधित करते हुए निसार अहमद व कैलाश मीणा ने कहा कि 2014 के इस विधेयक ने विकास परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव अध्ययन को पूरी तरह नकार दिया है। इस विधेयक में तो राज्य सरकार ने पुनर्वास की बाध्यता को ही समाप्त कर दिया है। हालांकि हम जमीन किस्म व उपयोग के बदलाव होने के विरोधी हैं, लेकिन अगर कोई जमीन के बदले पैसा भी चाहे तो आपका कानून केवल डी.एल.सी. दर की बात करता न कि बाजार का भाव। यानि कि व्यवसायिक तौर भी आप ही के ढाँचे के अन्तर्गत आप जमीन के कम भाव दे रहे हैं। इस विधेयक ने संवैधानिक इकाईयां जैसे शहरी निकाय, पंचायत राज संस्थाएँ व ग्राम सभा को पूर्णरूप से नकार दिया है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा व पंचायतों की भूमि अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं रखी है। जब कि 1996 में बना कानून इसको अनिवार्य मानता है।

सभा में कांग्रेस के 3 विधायक सपोटरा से रमेश महर मीणा, टोडाभीम के घनश्याम व गोविन्द डोटासरा सीकर से पहुंचे और उन्होंने इस कानून का उनकी पार्टी का विरोध जो उन्होंने विधान सभा के अन्दर किया उसके बारे में बताया और कहा कि वह वर्तमान सरकार जनविरोधी है। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता सुरेन्द्र ने बताया कि वे विस्थापन के विरुद्ध में आंदोलन जारी रखेंगे।

मेधा पाटकर के नेतृत्व में शिष्ट मण्डल विधान सभा के अन्दर गया। उन्हें कहा गया कि मुख्यमंत्री मिलेंगी। लेकिन वहां पहुंचने पर ओ.एस.डी. सारण ने मुलाकात करने आए तो वे शिष्ट मण्डल के प्रतिनिधि वापस लौट आये क्योंकि उनका मानना था कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री का न मिलना उनका किसान विरोधी चरित्र दिखाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जनसंगठनों द्वारा संयुक्त ज्ञापन दिया गया जो इस प्रकार था;

माननीय मुख्यमंत्री,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक 2014को वापस लेने के संदर्भ में।

महोदया,

राजस्थान की जनता के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी सरकार राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक 2014 को सभी लोकतांत्रिक व संवैधानिक नियमों व परम्पराओं को ताक में रख कर इसे आनन-फानन में पारित करने जा रही है। हम इस विधेयक को पूरी तरह खारिज करते हैं तथा यह कहना चाहेंगे किसी भी सूरत में हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान की जनता के साथ आपने छलावा किया है। दरअसल आप इस कानून को पारित कर कम्पनियों को जल्दी से जल्दी किसानों की जमीन उनके हवाले कर देना चाह रही हैं। “न्यायिक नियुक्ति विधेयक 2014” को पारित करना तो सिर्फ एक बहाना था।

हम आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण का नया केन्द्रिय कानून 30 वर्ष के एक लम्बे संघर्ष एवं व्यापक विचार विमर्श के बाद पिछले वर्ष 2013 में, संसद में ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013’, के नाम से पारित किया गया व 1894 के कानून को प्रतिस्थापन किया गया।

राजस्थान का 2014 का विधेयक का ध्येय है कि सरकार कैसे जल्दी से जल्दी जमीन की आवृत्ति करे ना कि लोगों का अपना निर्णय कि वो क्या चाहते हैं। यह विधेयक न केवल इस नये केन्द्रीय कानून की अनदेखी करता है बल्कि उस कानून के किसानों तथा भूमिहीन प्रभावितों के पक्ष में रखे गए सभी प्रावधानों को हटा कर कई किसान तथा जन विरोधी प्रावधान शामिल करता है। विकास परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव अध्ययन को पूरी तरह नकार दिया गया है। इस विधेयक में तो राज्य सरकार ने पुनर्वास की बाध्यता को ही समाप्त कर दिया है।

हालांकि हम जमीन किस्म व उपयोग के बदलाव होने के विरोधी हैं, लेकिन अगर कोई जमीन के बदले पैसा भी चाहे तो आपका कानून केवल डी.एल.सी. दर की बात करता न कि बाजार का भाव। यानि कि व्यवसायिक तौर पर भी आप ही के ढाँचे के अन्तर्गत आप जमीन के कम भाव दे रहे हैं।

यह मसौदा अलोकतांत्रिक है एवं किसानों एवं आमजन के स्वातंत्र्य हितों की घोर खिलाफत करता है। संविधान की अनुच्छेद 19 व 21 की खिलाफत करते हुए आपका मसौदा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ 3 माह से 6 माह तक की कैद व 10 हजार से 3 लाख रूपयों तक का जुर्माना तय किया गया है।

और तो और आपका यह विधेयक संवैधानिक इकाईयां जैसे शहरी निकाय, पंचायत राज संस्थाएँ व ग्राम सभा को पूर्णरूप से नकारता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा व पंचायतों की भूमि अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं रखी है। जब कि 1996 में बना कानून इसको अनिवार्य मानता है। हम पुनः कहना चाहेंगे कि 2014 का राजस्थान विधेयक के प्रावधानों की मंशा सिर्फ एक है कि कैसे उद्योगपति एवं भू-माफिया को राजस्थान की उपजाऊ जमीनों को उनके निजी लाभ के लिए जल्दी से जल्दी हस्तांतरित किया जाये।

ज्ञात्व्य है कि हम आपसे से उम्मीद करते हैं कि औद्योगिकरण के नाम पर राज्य में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे व भूमि के लूट व व्यापार की अनुमति नहीं देंगे। विकास तथा औद्योगिकरण के लिए सरकार द्वारा पहले से अधिग्रहित एवं खाली भूमि और वर्षों से बंद कारखानों का उपयोग किया जाये।

इस मुद्दे पर जिस प्रकार का उतावलापन दिखाते हुए अंग्रेजी भाषा में 16 अगस्त, 2014 को वेबसाइट पर मसौदा जारी किया है और 10 दिनों में 26 अगस्त 2014 तक, ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने पूर्वनियोजित तरीके से किसान एवं आम जन को इस निर्णय से बाहर रखा गया है। जो अत्यंत अलोकतांत्रिक कदम हैं। राजस्थान की जनता इस तरह के व्यवहार का बर्दाश्त नहीं करेगी व राज्यभर में इसका व्यापक जनआंदोलन के द्वारा इसका विरोध किया जायेगा।

अतः हमारा विनम्र आग्रह है कि राजस्थान की जनता की जनभावनाओं को सम्मान करते हुये राज्य सरकार इस प्रस्तावित भूमि अर्जन विधेयक 2014 को तुरन्त प्रभाव से वापस ले।

**हम हैं:**

- \* अखिल भारतीय किसान सभा,
- \* जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय,
- \* पी.यू.सी.एल. राजस्थान,
- \* निर्माण एवं जनरल मजदूर यूनियन,
- \* अवैध खनन व भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नीम का थाना,
- \* भौमिया समिति, डाबला,
- \* नवलगढ़ भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति,
- \* राजस्थान समग्र सेवा संघ,
- \* मजदूर किसान शक्ति संगठन,
- \* जनवादी महिला समिति,
- \* एन.एफ.आई.डब्ल्यू.,
- \* जंगल जमीन जन आंदोलन,
- \* विविधा,
- \* जमीन बचाओ आंदोलन,
- \* अखिल भारतीय किसान सभा एवं अन्य।



## जमीन छिनने के खौफ से बेचैन शेखावटी के किसान

- अभिषेक रंजन सिंह

जन आंदोलनों और उनमें विदेशी अनुदान से संचालित गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को लेकर देश में इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है। जन आंदोलनों में किसी एनजीओ के शामिल होने से कितना फायदा और नुकसान हैं, इस पर भी गंभीर विमर्शों का दौर जारी है। अलबत्ता हमारे सामने कुछ ऐसे भी जन आंदोलन हैं, जो पूरी तरह स्थानीय लोगों के सहारे और उनके एक-एक पैसे के सहयोग से न सिर्फ चल रहा है, बल्कि कई जगहों पर कामयाब भी हुआ है। राजस्थान के झुंझनू जिले की नवलगढ़ तहसील में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ एक ऐसा ही आंदोलन करीब चार वर्षों से बगैर किसी गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से चल रहा है।

आर्थिक नवउदारवादी नीतियों के बाद देश भर में जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं। इस दौरान पुलिस की गोलियों से किसानों और मजदूरों समेत सैकड़ों दलित और आदिवासी मारे गए हैं। वहीं जनता के पक्ष में खड़ी होने की बजाय केंद्र और राज्य सरकारें सरमायेदारों की हिमायत करती नजर आती हैं। राजस्थान के नवलगढ़ का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। यहां के किसानों को अपने खेतों में आसानी से बोरवेल लगाने की अनुमति नहीं मिलती है। भू-जल स्तर में कमी का खतरा बताकर सरकार उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने यहां सीमेंट फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति देकर लोगों को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इन सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए रोजाना लाखों लीटर पानी की जरूरत होगी, जबकि झुंझनू जिले में कोई नदी नहीं है। ऐसे में सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए यह पानी जमीन से निकाला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो अर्द्ध मरुस्थलीय यह इलाका पानी की कमी की वजह से वीरान हो जाएगा।

नवलगढ़ के किसान अपनी जमीन बचाने के लिए 27

अगस्त, 2010 से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा राजस्थान सरकार इस मामले की गंभीरता नहीं समझ रही है। दरअसल, उनकी नजर शेखावटी की जमीन में भारी मात्रा में दबे उस लाइमस्टोन पर है, जिससे सीमेंट बनती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी किसानों की इस समस्या पर कोई गौर नहीं किया। ऐसी सूरत में नवलगढ़ कहीं अगला नंदीग्राम न साबित हो जाए? इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नवलगढ़ तहसील के छह पंचायतों के बीस राजस्व गांवों में आदित्य बिड़ला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट और बांगड़ ग्रुप श्री सीमेंट कंपनी किसानों की हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहीत करना चाहती है। इन कंपनियों को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) से भी भरपूर मदद मिल रही है। राजस्थान सरकार और रीको की इस मनमानी के खिलाफ स्थानीय किसान नवलगढ़ तहसील के बाहर निरंतर क्रमिक धरना दे रहे हैं। आज उनके धरने का 1417 वां दिन है। किसानों के इसी विरोध के चलते श्री सीमेंट लिमिटेड और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड अपने प्लांट के लिए अभी तक एक भी ईंट नहीं लगा पाए हैं। अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए किसानों का यह आंदोलन निश्चित रूप से देश के दूसरे जनांदोलनों के लिए एक नजीर पेश करता है।

भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति, नवलगढ़ के संयोजक कैप्टन दीप सिंह शेखावत बताते हैं कि प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियां नवलगढ़ के किसानों के लिए अभिशाप बन जाएंगी। गौरतलब है कि नवलगढ़ में निजी क्षेत्र की तीन सीमेंट कंपनियां क्रमशः आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बांगड़ समूह की श्री सीमेंट और एन. श्री निवासन की इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने पहले 70 हजार बीघा जमीन अधिग्रहीत करने का लक्ष्य रखा था। इस बाबत 3 अप्रैल, 2008 को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन

लिमिटेड (रीको) और श्री सीमेंट लिमिटेड के बीच एक एमओयू (मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर हुआ था। यह करार 142.26 हेक्टेयर भूमि के लिए था। उसी तरह 5 जनवरी, 2011 को रीको और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर दस्तखत हुआ था। इनमें अकेले अल्ट्राटेक सीमेंट (आदित्य बिड़ला समूह) 45 हजार बीघा जमीन अधिग्रहीत करना चाहती थी, लेकिन स्थानीय किसानों के लगातार विरोध की वजह से एन. श्री निवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने 2 मई, 2013 को प्रोजेक्ट रद्द करने की घोषणा कर दी। इंडिया सीमेंट लिमिटेड के इस फैसले का असर बाकी दोनों कंपनियों पर पड़ना लाजिमी था। नतीजतन कुछ ही महीने बाद अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित प्लांट और खनन क्षेत्र के लिए सिर्फ 10 हजार बीघा जमीन अधिग्रहीत करने की इच्छा जताई। इसी तरह श्री सीमेंट लिमिटेड ने अपनी परियोजना के लिए पहले 13 हजार बीघा जमीन अधिग्रहण करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब वह 7,500 बीघा जमीन हासिल करने की बात कह रहा है। इस पूरे मामले पर भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नवलगढ़ के संयोजक कैप्टन दीप सिंह शेखावत का कहना है कि यह किसानों की आंशिक जीत है। वैसे उनका यह संघर्ष उस वक्त तब तक जारी रहेगा, जब तक आदित्य बिड़ला और बांगड़ समूह भी एन. श्रीनिवासन की तरह अपने प्रोजेक्टों को रद्द करने की घोषणा नहीं कर देते।

फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड नवलगढ़ के किसानों से कुल 2600 बीघा जमीन का बैनामा करा चुका है। इनमें 500 बीघा जमीन अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। वहीं श्री सीमेंट लिमिटेड ने किसानों से अब तक 1200 बीघा जमीन खरीद चुका है। गौरतलब है कि बांगड़ समूह की श्री सीमेंट लिमिटेड के लिए राजस्थान सरकार के खनन विभाग ने कुल 714.086 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करने की आवश्यकता समझी थी। इस संबंध में कंपनी को प्लांट स्थापित करने के लिए 142.26 और खनन क्षेत्र के लिए 572.060 हेक्टेयर जमीन का अवॉर्ड भी

पारित हो चुका है। यह जमीन नवलगढ़ तहसील के गोठड़ा, देवगांव, केशवा की ढाणी एवं चौढ़ाणी गांवों में स्थित है। चौढ़ाणी और केशवा की ढाणी में अधिग्रहीत की जाने वाली अधिकतर भूमि सिंचित और दो फसली हैं। भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नवलगढ़ के संयोजक कैप्टन दीप सिंह शेखावत के अनुसार, नवलगढ़ के तहसीलदार ने 15 अप्रैल, 2009 को उपखंड अधिकारी को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत उक्त भूमि का आवंटन प्रतिबंधित है। इस बाबत एक रिट पेटिशन 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 अगस्त, 2004 को दिए अपने आदेश में नदी-नाले, जोहड़, पायतन, जल प्रवाह और जल संग्रहण की भूमि के आवंटन पर प्रतिबंध लगाया है। इतना ही नहीं, यहां चारागाहों की भूमि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों से किसी तरह का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में धारा 4 एवं 6 की कार्यवाही की गई, जिसे लेकर सरपंचों ने आपत्तियां भी की थीं, बावजूद इसके सरकार ने इसकी अनदेखी की।

इस संबंध में भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र दिनांक 15 मार्च, 2011 को भेजा गया। इसी संबंध में 5 मई, 2011 को राष्ट्रपति को भेजे अपने पत्र में उसने किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने की गुहार लगाई थी। इस बाबत किसान संघर्ष समिति की ओर से राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी एक ज्ञापन 9 अप्रैल 2012 को दिया गया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित किसानों का कहना है कि संबंधित गांव के पटवारी ने 18 दिसंबर, 2007 को अपनी जांच रिपोर्ट नवलगढ़ के तहसीलदार को भेजी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, भोजनगर गांव में जमीन अधिग्रहण होने से वहां निवास करने वाली 800 की आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी। झुंझुनूं के जिलाधिकारी ने भी एक

पत्र उद्योग विभाग के मुख्य सचिव को भेजा, जिसका पत्रांक 12(3) (29) राज.07/3517-18 दिनांक 29 जुलाई, 2008 है। इसकी चर्चा उद्योग विभाग ने 11 अगस्त, 2008 को जिलाधिकारी झुंझुनू को लिखे पत्र में की थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इससे 1 हजार 996 किसान परिवार प्रभावित होंगे। इस संबंध में टोंक छिलरी हलका के पटवारी ने जिलाधिकारी झुंझुनू के निर्देश पर 30 अगस्त, 2008 को अपनी रिपोर्ट नवलगढ़ के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि उक्त सीमेंट फैक्ट्री की वजह से काफी लोग प्रभावित होंगे। ग्राम बसावा के पटवारी ने भी इस बाबत अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 2008 को पेश की थी, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों के समक्ष पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया था।

नवलगढ़ में जहां एक तरफ प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं इसे कमजोर करने के लिए अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी तमाम तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। उक्त कंपनियों के अधिकारी स्थानीय बिचौलियों की मदद से गरीब किसानों को अधिक पैसे का लालच देकर जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आदित्य बिड़ला और बांगड़ समूह ने नवलगढ़ में जमीनों का बैनामा अपने नाम पर नहीं, बल्कि कंपनी के एजेंटों के नाम पर कराया है।

जिन किसानों ने अपनी जमीन बेच दी है, उनका कहना है कि जिस दर पर उनसे जमीन खरीदने की बात की गई थी, वह कीमत उन्हें नहीं मिली। जब उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, तब एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम पर गलत तरीके से जमीन खरीदने की यह पहली और आखिरी घटना नहीं है। क्षेत्र के दर्जनों किसान इसी तरह ठगी के शिकार हुए हैं। बसावा गांव के किसान सोनाराम के पास 30 बीघा जमीन है। प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियों से वह काफी दुखी हैं। उनके मुताबिक, सरकार कहती है कि

कारखाना लगने से क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन खेती की जमीन पर अगर अनाज की जगह सीमेंट का उत्पादन होगा तो लोगों का पेट कैसे भरेगा? अगर सरकार और कंपनियों को एकमुश्त जमीन चाहिए तो, वे नवलगढ़ के किसानों की सामूहिक हत्या कर दें और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लें, क्योंकि यहां के किसान जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन नहीं। किसानों के अनुसार, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट लिमिटेड को गांवों में जमीन का बड़ा रकबा नहीं मिल रहा है, लिहाजा वे अलग-अलग गांवों में दस-बीस बीघे का टुकड़ा खरीद रहे हैं। जो जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, उनमें मौजूद खेजड़ी के पेड़ को बेरहमी से काटा जा रहा है, ताकि सीमेंट कंपनियां यह साबित कर सकें कि खरीदी गई जमीनें गैर उपजाऊ एवं बंजर हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी के सैकड़ों हरे पेड़ काटे गए, लेकिन दोषियों के खिलाफ शासन-प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एक तरफ केंद्र सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन ने पंचायतों एवं ग्राम सभाओं से यह पूछना भी उचित नहीं समझा कि उनके इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जो जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, उसमें किसानों की सहमति है अथवा नहीं? स्थानीय लोगों की पीड़ा यही है कि राज्य सरकार कृषि योग्य भूमि से किसानों को बेदखल कर सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। नवलगढ़ में कॉरपोरेट घराने एक तरफ किसानों को खदेड़ने पर तुली है, वहीं राजस्थान सरकार सीमेंट कंपनियों को हर तरह की छूट देकर उनकी राह आसान कर रही है।

राजस्थान सरकार द्वारा कथित विकास का यह खेल शेखावाटी के हजारों किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। सीमेंट फैक्ट्रियों और खनन कार्य के नाम पर जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, वह उपजाऊ और समतल सिंचित है। जिसके ज्यादातर हिस्से में दो फसलें उगाई जाती हैं और करीब 10 प्रतिशत भूमि क्षेत्र में तीन फसलें भी होती

हैं। यहां के किसानों की जीविका का एकमात्र साधन खेती ही है।

शेखावाटी में सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम पर किसानों के साथ बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि जब किसानों को अपनी जमीन नहीं बेचनी है तो, उसे क्यों मजबूर किया जा रहा है। जिन किसानों ने नासमझी में अपनी जमीनें बेच दीं, आज उनमें से नब्बे फीसद लोग बर्बाद हो चुके हैं। इस बीच राजस्थान सरकार मुआवजे के लिए किसानों को कई बार नोटिस भी भेज चुकी है, लेकिन अधिकतर किसानों ने कोई मुआवजा नहीं लिया। राजस्थान सरकार ने इलाके की उपजाऊ जमीन को बंजर घोषित करते हुए दैनिक अखबारों में गजट भी प्रकाशित किया था।

अतः राजस्थान सरकार के खान विभाग ने मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड को जिला झुंझुनूं की तहसील नवलगढ़ के ग्राम गोठड़ा, देवगांव, केशवा की ढाणी और चौढाणी में 572.060 खातेदारी भूमि को लाइमस्टोन खनन हेतु सहमति जारी की है। इस अधिसूचना में लगभग 80 प्रतिशत जमीन को बारानी (बरसात में होने वाली खेती) घोषित किया गया। उद्योग विभाग की अधिसूचना और राजस्थान गजट के मुताबिक, यहां की अधिकांश जमीनें असिंचित हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार ने उक्त जमीन का मौजूदा स्वरूप कब निर्धारित किया। उद्योग विभाग की अधिसूचना में इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि जमीन का वर्ग निर्धारण किस वर्ष किया गया।

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार मौजूदा जमीन को बंजर मान रही है, जबकि भूमि एवं राजस्व विभाग को यह पता होना चाहिए कि जमीन का स्वरूप यानी नेचर ऑफ लैंड समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। जो जमीन कल तक बंजर थी, उसमें अब अच्छी खेती होने लगी है। उसका प्रमाण है, यहां मौजूद कई ट्यूबवेल और उससे सिंचित होने वाली फसलें।

इस मामले में राजस्थान सरकार का झूठ सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई एक जानकारी से

भी पता चलता है। भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति, नवलगढ़ के संयोजक कैप्टन दीप सिंह शेखावत ने आरटीआई के तहत 26 मार्च, 2014 को तहसीलदार से जानकारी मांगी थी- क्या सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन सिंचित और उपजाऊ है, अगर है तो, उसमें कौन सी फसलें होती हैं? 1 मई, 2014 को पटवारी परसरामपुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए अधिग्रहीत की जा रही भूमि सिंचित और उपजाऊ है और इसमें गेहूं, चना, सरसों एवं मेथी की खेती की जाती है। उसी तरह दूसरा सवाल- क्या अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पथरीली है? इसके जवाब में पटवारी परसरामपुरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है- अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पथरीली नहीं है। तहसीलदार और पटवारी की यह रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहीत की जा रही है।

केंद्र और राज्य सरकारें दावा करती हैं कि वह भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मुहैया कराएगी, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि देश में भूमि अधिग्रहण से अब तक विस्थापित होने वाले 10 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला है। इनसे यह पूछा जाना बेहद जरूरी है कि अगर भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक मकसद के लिए किया जाता है तो, उसमें निजी कंपनियों का हित सर्वोपरि क्यों हो जाता है।

देश में जब भी भूमि अधिग्रहण की बात होती है, तो सरकार का इशारा दलित, आदिवासी और किसानों की तरफ होता है। विकास के नाम पर बलि हमेशा गरीबों की दी जाती है। किसी पूंजीपति ने इसकी कीमत नहीं चुकाई है। जिनके पास धन है वे शहरों में रह सकते हैं, लेकिन वह आम आदमी, जिसके पास अपनी जीविका और रहने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे बेचकर आखिर वह कहाँ जाएगा?

## माही-कड़ाणा बांध विस्थापितों की आखिर कब सुध लेगी सरकार

पिछले 40 सालों से कड़ाणा एवं माही बांध विस्थापित अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। गुजरी 20 अगस्त को प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जब बांसवाड़ा दौरे पर थीं तब कड़ाणा व माही बांध विस्थापितों ने एक मांग-पत्र सौंपा जो इस प्रकार है-

श्रीमान मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)

**विषय: कड़ाणा बांध परियोजना एवं माही बांध से विस्थापित खातेदारों के परिवारों का पुनर्वास नोर्म्स के आधार पर उचित पुनर्वास करवाने के संबंध में**

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयानुसार विस्थापित संगठन निम्न प्रकार निवेदन करता है- निर्माण बांध का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं ऊर्जा उत्पादन आदि निर्णय पर किया गया है।

1. यह कि कड़ाणा बांध का निर्माण 1966 के राष्ट्रीय समझौता के अनुसार वर्ष 1971 में शुरू होकर 1977 में कार्य पूर्ण हुआ है।
2. राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार कड़ाणा बांध से प्रभावित हुए परिवार जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दोनों जिलों के कुल 155 गांवों में निवास कर रहे लगभग 5940 खातेदार वर्ष 1966 की सर्वे के अनुसार डूब से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 132 गांवों के 3267 खातेदार परिवार खास तौर से विस्थापित हुए हैं।
3. यह कि 3267 खातेदारों को अन्यत्र वनखण्डों की सरकारी भूमि में बचाया जाने का निर्णय कड़ाणा प्रकोष्ठ निदेशक पुनर्वास कार्यालय द्वारा सूची बनाया गया है।
4. यह है कि जिला बांसवाड़ा के तहसील क्षेत्र गढ़ी व बागिदौरा के कुल 1202 विस्थापित खातेदार व जिला डूंगरपुर के 2063 खातेदार परिवार से डूब प्रभावित हुए हैं।
5. यह है कि जिला बांसवाड़ा के 1202 में से 297 को बचाया जा चुका है एवं 905 शेष रहे हैं। इस प्रकार जिला डूंगरपुर के 2068 में 956 का पुनर्वास हुआ है। 1107 शेष रहे हैं। इस प्रकार दोनों जिलों के 905 व 1107, कुल 2012 खातेदार परिवार के वंचित रहे हैं और माही बांध से प्रभावित वंचित 3600 परिवार जमीन मिलने से वंचित हैं।
6. यह कि अभी तक 41 प्रतिशत विस्थापन किया गया है और 59 प्रतिशत विस्थापन अधूरा है।
7. यह है कि हम विस्थापित परिवारों की खातेदारी भूमि स्थाई रूप से राजा रजवाड़ों के समय से स्थायी खातेदारी भूमि सरकार की मंशानुसार उद्देशित कृषि उत्पादन एवं आदि विषयों व इन्कम कमाई के उद्देश्य से माही व कड़ाणा बांध बनाया जाने का निष्पत्ति से किसानों की भूमि डूब में आयी है।
8. यह कि डूब में आयी जमीन का मुआवजा भूमि किस्म के आधार पर प्रति बीघा 250 रु., 400 रु., 600 रु., 900 रु. के हिसाब से मुआवजा राशि दी गयी है।
9. यह कि भूमि जो आवंटन की गयी है वो गैरखातेदार आवंटित व आरक्षित दी गयी है। 1976 व 77 से आज दिन तक गैर खातेदारी है।
10. यह कि राज्य सरकार स्थाई खातेदारी देने के एवज में भूमि वेल्युवेशन के आधार पर 15 प्रतिशत प्रीमियम राशि प्रति बीघा 12 से 15 हजार रुपया की आड़ में गैर खातेदारी को अस्थाई खातेदारी नहीं दी जा रही है।
11. मान्यवर जी उपरोक्त विषयानुसार निवेदन इस प्रकार है कि बांध परियोजना के नोर्म्स के आधार पर अधूरा पुनर्वास पूर्ण कराया जावे।
12. यह कि विस्थापितों को पुनर्वास के रूप में दी गयी भूमि निःशुल्क खातेदारी अधिकार दिलाने का आदेश फरमाने के संबंध में गुरु गोविन्द डूब किसान संघर्ष समिति निवेदन पेश करता है।

भवदीय

गुरु गोविन्द डूब किसान संघर्ष समिति, आनन्दपुरी  
एवं विस्थापित खातेदार

## दास्तान-ए-कडाना विस्थापित

अभी मैं ग्राम वन खण्ड नाहली माजीया में निवास करता हूं। मैं कडाना विस्थापित में गारन्टेड परिवार में आता हूं, यह कि कडाना में तीन तरह से आदिवासी विस्थापित परिवारों को परिभाषित किया गया था-

1. खातेदारी परिवार- जिनकी संपत्ति डूब में आई है।, उनको सरकारी रेट अनुसार मुआवजा मिलेगा, जो प्रति बीघा 250रु, 400 रु., 600 रु, 900 रु., चार केटेगरी में मुआवजा मिला था एवं मकान, कुआ का नाप अनुसार कुआ 1200 रु. से 3000 रु., मकान का 1500 रु. से 12000 रु. मिला। इस तरह से खातेदारी हक मिला वो खातेदारी कहा गया। लेकिन किसी को भी 25 बीघा से ज्यादा भूमि पुनर्वास में नहीं मिलेगी।

### उदाहरण-

मोती/डूंगर सोलंकी, जो गांव बीलडी प.सद गढ़ी का है, उसकी कुल भूमि 102 बीघा खाते में थी, वो एक खातेदार था लेकिन उसके साथ 7-8 परिवार उस समय थे। उसकी भूमि का एक लाख रुपया मुआवजा मिला, उसकी 98 बीघा भूमि डूब में गई, जो उपजाऊ काली मिट्टी वाली थी, उसको 27 बीघा सूखी राखड भूमि पुनर्वास में गांव टिमूखा में मिली है। वो आज वहीं पर निवास करता है लेकिन उसका परिवार तितर-बितर हो चुका है।

### आसीक परिवार-

जो खातेदार हैं लेकिन 10 बीघा भूमि से कम है उनको आसीक परिवार की सीमा मानी गई। मुआवजा सम्पत्ति के अनुसार मिला था। इन परिवारों को आवास के लिये भूखण्ड देने का प्रावधान नहीं था।

### गारन्टेड परिवार-

केटेगरी-3 जो खातेदारी परिवार में बालिग था लेकिन खातेदार नहीं था जिनके नाम भूमि नहीं थी लेकिन डूब में मकान आ रहा था उनको 4 एकड़ भूमि कृषि के लिये व आवास के लिये 60x90 या 90x120 का आवासीय भूखण्ड व पुनर्वास ग्रांट 750/- व मकान का 1500 रु. मुआवजा मिलना था।

मैं मनजी उर्फ मुन्नालाल पारगी भी गारन्टेड परिवार में से एक हूं जो वर्तमान में मैं वन खण्ड माहली माजीया में निवास करता हूं। 1977 में मेरे को 1500/- मकान का मुआवजा, 750/- पुनर्वास ग्रांट मिली थी। मेरे पिता वेलजी भी खातेदार नहीं था, खातेदार ठाकुर था। नाथूसिंह पुत्र फतेहसिंह देवेला मुआवजा उसी ने उठाया था। मेरे भाई मुन्नालाल, हवजी, कालू, जावमा था जो आज 13 परिवार हो गया है, हवजी की मृत्यु हो चुकी है। आज हमारे परिवार को अपनी आजीविका चलाने में अति कष्ट हो रहा है।

मनजी उर्फ मुन्नालाल

अध्यक्ष

कडाना बांध विस्थापित संघ

# किसान विरोधी नीतियों के विरोध में धरना

अखिल भारतीय किसान महासभा झुंझुनू की ओर से 9 अगस्त 2014 को

राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर एक दिवसीय धरना

राज्य में सुराज व देश में किसानों-मजदूरों व आम जनता को अच्छे दिनों के सपने बेचकर सत्ता में आई भाजपा ने केन्द्र व राज्य में मजदूर-किसान विरोधी एजेण्डा पर अमल शुरू कर दिया है। किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून 2011 में कुछ किसान पक्षीय पहलू मसलन कंपनियों द्वारा 70 प्रतिशत भूमि किसानों से लेने पर ही शेष भूमि का अधिग्रहण की शर्त, अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने पर किसानों द्वारा भूमि का इस्तेमाल डी.एल.सी.ए. रेट से चार गुणा कीमत, बहुफसली भूमि के अधिग्रहण न करने आदि पहलू हटा कर कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में कानून में संशोधन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद साठ प्रकार के जी.एम. बीजों का जिसमें गेहूँ, चावल, चना, सरसों व बैंगन आदि के फ़िल्ड ट्रायल की अनुमति दे दी, देशभर के किसान संगठनों के विरोध के बाद अब मामले को ठण्डे बस्ते में डाला है, जी.एम. बीजों के एक बार बोलने से तैयार फसल का बीज पुनः उत्पन्न नहीं होता है। जिसके कारण किसानों के परम्परागत बीज की समाप्ति से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता व स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। देशभर में अवैध खनन व अन्य पर्यावरण विरोधी परियोजनाओं से सूखा, बाढ़ व भूस्खलन से किसानों की खेती तबाह हो रही है। खाद सब्सिडी पर कटौती व कॉरपोरेट घरानों को हर बजट में लाखों करोड़ की राहत पूर्व कांग्रेस सरकार नीत सम्प्रग सरकार की तरह मौजूदा भाजपा नीत राजग सरकार की नीति बन गई है। राज्य की वसुंधरा सरकार द्वारा कृषि ऋण पर चार प्रतिशत छूट की समाप्ति, बजरी व पत्थरों पर भारी रॉयल्टी बढ़ोतरी, विद्युत दरों में बढ़ोतरी व जले हुए ट्रांसफार्मरों की उपभोक्ताओं से वसूली की संभावित योजना, झूठी वी.सी.आर. से प्रताड़ना, दूसरी तरफ 45 हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही, बैंकों की कुर्की आदि आम बात है। अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के महत् प्रतिरोध दिवस मनाया गया।

किसान अधिकार मांग पत्र

1. भूमि अधिग्रहण कानून नहीं भूमि संरक्षण कानून बनाओ। नवलगढ़ में कृषि भूमि का सीमेन्ट कंपनियों के लिए अधिग्रहण बंद करो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में किसान पक्षीय पहलुओं को हटाने की साजिश बंद करो।
2. केंद्र सरकार द्वारा खतरनाक जी.एम. बीजों के ट्रायल की अनुमति को ठण्डे बस्ते में डालने की बजाय सदा-सदा के लिए इस आत्मघाती कार्यवाही को बंद करने की घोषणा करो।
3. पर्यावरण विरोधी खनन व परियोजनाओं को जन-धन व किसानों की खेती की बरबादी को रोकने के लिए बंद करो।
4. किसानों की सहकारी बैंकों के चार प्रतिशत ब्याज की राहत पुनः बहाल करो। उच्च क्षमता की विद्युत लाइनों के टावर निर्माण में ली जा रही कृषि भूमि का मुआवजा दो। उच्च क्षमता की विद्युत लाइनों के नीचे आने वाले मकानों व कृषि कुओं का तुरन्त मुआवजा दो।
5. एफ.आर.पी. की तर्ज पर एम.आर.पी. के नाम पर विद्युत वितरण निगमों में सार्वजनिक धन की बरबादी बंद करो। ठेका प्रथा पर रोक लगाओ।
6. विद्युत सुधार कानून 2003 रद्द करो। वी.सी.आर. के नाम पर लूट बंद करो। वी.सी.आर. में कंपाउण्डिंग राशि के साथ ली जा रही सिविल लायबिल्टी की राशि लेना बंद करो। गठन के बाद से विद्युत कंपनियों की सी.ए.जी. से ऑडिट करवाओ। एफ.आर.पी. में हुए करोड़ों के घोटालों की जांच करवाओ। गहलोल सरकार में लगाये गये मीटरों की गति बहुत तेज होने के कारण निष्पक्ष विशेषज्ञों से जांच करवाकर उपभोक्ताओं को राहत दो। आबादी की तर्ज पर गैर बाबादी में बिना ग्रुप हर घरेलू आवेदनकर्ता को विद्युत कनेक्शन दो। चारागाह भूमि में बसे गरीबों को विद्युत कनेक्शन दो। दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिजली की रेट सस्ती करो। स्थाई शुल्क बंद करो।
7. आत्मा परियोजना व कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवा कर दोषियों को दण्डित करो। किसानों को आत्मपरियोजना व कृषि विभाग से देय अनुदान सही तरीके से मिलने की गारंटी करो।
8. खाद्य सुरक्षा कानून को कड़ाई से पालन करवाने व राशन कार्डों पर खाद्य सुरक्षा की मोहर लगवाओ। वास्तविक हकदारों की ग्राम पंचायत स्तर पर सूची बनवाकर ग्रामसभा से पारित करवाओ मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करो। मजदूरों को पूरी मजदूरी दो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जावे। परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी न होने की शर्त हटा कर सभी बुजुर्गों को पेंशन दी जावे।
9. फसल का लाभकारी मूल्य दिलवाओ। किसानों की फसल ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी करो। किसानों को बिजली, खाद, बीज, डीजल सस्ती दर पर उपलब्ध करवाओ। आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए लोहे की कांटेदार बाड़ हेतु किसानों को अनुदान दिया जावे। कृषि बीमा में खेत को इकाई माना जावे। कृषि बीमा की प्रीमियम डकारने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाये। हाल ही में शीत प्रकोप से नष्ट हुई फसल का बीमा कंपनी मुआवजा दे।
10. हिमालय का पानी जिले के सभी सूखे क्षेत्रों व खारे पाली वाले क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जाए। हर तहसील स्तर पर सरकारी कॉलेज खोला जाए।
11. पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे खनन बंद कर, छोटे पैमाने पर क्षेत्रीय ग्रामीणों को घरेलू जरूरत के लिए खनन की इजाजत दो। घरेलू कार्य के लिए बजरी खनन व पत्थरों पर रॉयल्टी बंद करो। बूंद-बूंद सिंचाई योजना व सौर ऊर्जा में किसानों को दी जा रही सब्सिडी में कटौती बंद करो।

## गोरखपुर परमाणु संयंत्र के विरोध में मुख्य सचिव को ज्ञापन

करीब 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली महानगर से महज 150 कि.मी. की दूरी पर किसी परमाणु संयंत्र (देश का सबसे बड़ा) की स्थापना की कल्पना ही सिरहन पैदा कर देती है। हरियाणा के गोरखपुर गांव में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस बात का उदाहरण है कि किस तरह हमारे नीति निर्माता स्थानीय आबादी को खतरे में डालकर और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा कर अपनी नीतियां या कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं। अभी भी समय है कि इस खतरे से बचा जा सकता है। अगस्त माह में गोरखपुर परमाणु संयंत्र के विरोध में मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया है;

सेवा में,  
माननीय मुख्य सचिव हरियाणा,  
रूम नं0 4, चौथी मंजिल,  
हरियाणा सिविल सचिवालय,  
सेक्टर.1, चण्डीगढ़।

विषय : गोरखपुर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में लगाए जा रहे परमाणु संयंत्र के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

जैसा कि आपके संज्ञान में है कि गांव गोरखपुर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में लगाये जा रहे परमाणु संयंत्र का सैंकड़ों किसान, ग्रामीण शुरूआत से ही विरोध कर रहे हैं। जिसके पीछे बहुत सी ठोस वजह हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी 2014 को इस परमाणु संयंत्र का शिलान्यास किया है। जो कि लोकतंत्र में उचित नहीं है, लोकतंत्र में सभी की आवाज व विरोध पर गौर किया जाना चाहिए। इसलिए एक बार फिर आपके सामने विरोध प्रकट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ स्थापित न किया जाये। इसकी प्रमुख वजह निम्नलिखित हैं:

1. उक्त प्रोजेक्ट हेतु 320 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है जिसमें से लगभग 33 प्रतिशत पानी को वापस कैनाल में छोड़ा जायेगा अर्थात् लगभग 214 क्यूसेक पानी उक्त प्रोजेक्ट cooling possess में समाप्त हो जाएगा। अतः किसानों के हिस्से का लगभग 214 क्यूसेक पानी जो उक्त प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ने वाला है उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? Bhakra Water Sharing Agreement 1959 के अनुसार 2.25 क्यूसेक पानी से एक हजार एकड़ भूमि सिंचित की जा सकती है। इसलिए उक्त प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ने वाले लगभग 214 क्यूसेक पानी से लगभग 95,000 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है तो यहाँ आप स्पष्ट कीजिए कि जिन किसानों के हिस्से का पानी आप उक्त प्रोजेक्ट हेतु दे रहे हैं उन किसानों का क्या होगा? और न ही डैम से और अधिक पानी छोड़ा जा सकता है क्योंकि पानी की पहले से ही किल्लत है।

इसलिए इस संयंत्र के निर्माण के बाद उस एरिया की कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, कैनाल में पानी की कमी की वजह से किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा। इस एरिया का भूमिगत जल कृषि के योग्य नहीं है और न ही वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है जिससे खेती की जा सके। यदि पानी की कमी होती है तो लाखों किसानों व मजदूरों की आजीविका को खतरा हो जायेगा। इस के अलावा डाउन स्ट्रीम में आने वाले हिस्सों में अन्त तक पानी नहीं पहुंच पायेगा जिससे लोगों को केवल खेती ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी किल्लत हो





जाएगी क्योंकि हजारों लोग इस कैनाल के पानी का उपयोग पीने के लिए भी करते हैं।

2. इसके साथ ही Bhakra Water Sharing Agreement 1959 के अनुसार उक्त कैनाल का पानी केवल सिंचाई (Irrigation) Hydel Power उत्पादन में ही किया जा सकता है। तो आप किस आधार पर इस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर परमाणु संयंत्र हेतु पानी दे रहे हैं?
3. जैसा कि हमारी जानकारी में है दुनिया भर में कहीं भी कैनाल पर आधारित परमाणु संयंत्र नहीं है क्योंकि कैनाल पर इस तरह के संयंत्र संभव ही नहीं हैं। यह कैनाल लगभग एक माह बन्द रहती है, सफाई की जाती है और कैनाल आये दिन टूटती रहती है, कैनाल में फ्लड भी आता रहता है ऐसी स्थिति में संयंत्र के संचालन हेतु क्या वैकल्पिक उपाय हैं?
4. जिस एरिया में इस संयंत्र और टाउनशिप की स्थापना की जा रही है वहाँ Schedule-I में आने वाले बहुत से वन्य जीव पाए जाते हैं। वहाँ सैंकड़ों काला हिरण आदि दुर्लभ प्रजाति पाई जाती हैं। इस संयंत्र के बनने से इन दुर्लभ वन्य जीवनों का यहाँ से अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।
5. इसके अलावा Atomic Energy Regulatory Board (AERB) के नियम अनुसार परमाणु संयंत्र की 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी गांव 10,000 से अधिक आबादी का नहीं होना चाहिए। जबकि इस परमाणु संयंत्र की 1 किलोमीटर की परिधि में गोरखपुर लगभग 21,000 आबादी का गांव है। फतेहाबाद के वर्ष 2014 के गजेटियर में गोरखपुर की आबादी 21,000 ही स्पष्ट की गई है। इसलिए AERB के नियमों के अनुसार भी उक्त संयंत्र यह नहीं बनाया जा सकता है।

अतः आपसे विनती है कि उपरोक्त वर्णित सभी बिन्दुओं के आधार पर तत्काल प्रभाव से इस परमाणु संयंत्र के निर्माण को रोका जाये क्योंकि उक्त संयंत्र यहाँ बनाना संभव नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप इस अपील पर गौर करेंगे।

धन्यवाद।

यशवीर आर्य

आजादी बचाओ आन्दोलन

## विदेशी निवेश रिझाने की चूहेदानी पर लटकी ज़िंदगियाँ: निरपराध बंदी मारुति-सुजुकी के 147 मज़दूर

पत्रकार नेहा दीक्षित ने भोंडसी जेल में दो साल से बिना अपराध बंद मारुती-सुजुकी के मजदूरों का हाल अपनी रिपोर्ट में बयान किया है जिसे हम [मजदूर बिगुल](#) से साभार आपसे साझा कर रहे हैं.

गुड़गाँव का भोंडसी कारागार गृह आगन्तुकों के लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक उन बन्दियों से मिलने के लिए खुला रहता है जिनके नाम 'S' और 'R' से शुरू होते हैं। सुषमा का पति सोहन और 146 अन्य मारुति सुजुकी के मजदूर बिना किसी अपराध सिद्धि के पिछले दो सालों से भोंडसी जेल में कैद हैं। जब हम जेल की आरे जा रहे थे तो कार में सुषमा मेरे बगल में बैठी थी। उसकी आँखें सूजी हुई थीं और उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी। पिछली रात वह सो नहीं पायी थी क्योंकि उसके पड़ोसी ने खुदकुशी कर ली थी। पड़ोसी जो एक केबल फैक्टरी में काम करता था, उसका उसके कार्यस्थल पर झगड़ा हो गया था। वह घर लौटा, उसने गांव में अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि वह उसकी मौत के बाद वह दूसरी

शादी कर ले। जब तक उसकी पत्नी उसके पड़ोसियों को फोन करती तक तक वह फाँसी लगाकर अपनी जान दे चुका था।

सुषमा बोली, "एक औरत के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल है"। उसने ऑफिस जाने के हिसाब से कपड़े पहने थे; साफ़-सुथरी सलवार-कमीज़, कसकर बँधे हुए बाल, हाथों में काले रंग का बड़ा सा बैग और एक छोटा सा टिफिन बॉक्स। वह तार और केबल बनाने वाली एक कम्पनी में काम करती है जो उसे हफ्ते में दो बार देर से आने की इजाज़त देती है।

"मेरे ठीक बगल रहने वाली पड़ोसन ने आज मुझसे पूछा, 'मैं सोचती हूँ... तुम शादीशुदा लगती हो लेकिन तुम्हारा पति कभी नहीं आता और इतने सालों में तुम्हें कोई बच्चा भी नहीं हुआ। मामला क्या है?'



मैंने उससे कहा, 'क्यों? क्या तुम मेरे बच्चे पालना चाहती हो?'

उसकी उम्र 28-29 के आस-पास होगी। 2008 में अपना ग्रेजुएशन पूरा करके वह शिमला विश्वविद्यालय में एक मान्यताप्राप्त अध्यापक बनी। उसी साल वे दोनों एक साझा दोस्त की शादी में मिले, उनमें प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। हरियाणा के करनाल में रहने वाले सोहन के पिता ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी और उन्होंने यह साफ़ कह दिया कि उनका अब उनसे कोई लेना-देना नहीं रहेगा।

सोहन पहले से ही मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में बतौर स्थायी कर्मचारी काम करता था और उसकी तनख्वाह 15000 रुपये महीना थी। उसे भी बगल के ही एक स्कूल में 5000 रुपये प्रतिमाह पर नौकरी मिल गयी।

"एक मज़दूर तो ऐसा है जिसकी घटना से एक महीने पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि घर में सभी उसको परिवार के लिए मनहूस बताकर कोसते हैं। मैंने उसको कहा कि उसे इस तरह की बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी शादी हुए तो चार साल हो गये, फिर भी मेरा पति गिरफ़्तार हो गया।" सुषमा ने कहा।

#### **जियालाल की पहचान**

वहां अनारकली सूट पहने हुई और कत्थई रंग के बालों वाली छोटे कद की एक महिला फोन पर किसी से बात कर रही थी, "सर, आप थानेदार जी से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने मेरे पति के चरित्र रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा कि अगर उसे रिहा कर दिया गया तो उसकी ज़िन्दगी ख़तरे में पड़ जायेगी। मैंने तो उन्हें पैसा भी दिया था"। एक मिनट तक सिर हिलाने के बाद उसने फोन रख दिया। उसका नाम ममता है। उसके पति को पन्द्रह साल पहले उम्र कैद की सजा हुई थी और वह अभी भी जेल में है। सुषमा और ममता की जान-पहचान दो साल पहले हुई क्योंकि उनके पतियों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते थे और यह जान-पहचान तदनुभूति से भरी घनिष्ठ दोस्ती में तब्दील हो गयी जब हरेक दिन उनका

सामना न्याय और पार्थक्य से होने लगा जिस प्रकार उन सभी महिलाओं का होता है जिनके पति जेल में होते हैं।

मुलाकात के लिए पंजीकरण कराने हेतु कतार में खड़ी खड़ी वो अपने निजी जीवन के अनुभव साझा कर रही थी। उनकी गतिविधियां जैसे कि दस्तावेज़ पेश करना, वेबकैम के सामने फोटो खिंचवाना, अगले काउंटर पर जाना आदि उनकी गहन बातचीत में खलल डाल रही थीं। "तुम उनकी सुनती ही क्यों हो?" ममता सुषमा से कहती है, "वे मुझे बेचारी कहते हैं। जब मैंने उनकी हमदर्दी लेने से मना कर दिया तो वे कहने लगे कि मैं चरित्रहीन हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िन्दगी जीती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ और हमेशा इस बात का दुखड़ा नहीं रोती कि मेरा पति जेल में है। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो क्या होता? तब भी तो मैं ज़िन्दगी जीती ही न? मैं यह सोचकर आगे बढ़ जाती हूँ।"

"दीदी आपका मामला अलग है। मेरे पति ने किसी की हत्या नहीं की, वह तो बस अपना हक मांग रहा था," सुषमा ने उसे रोकते हुए कहा। "और आपके मामले से अलग मेरे मामले में तो उसका अपराध भी नहीं साबित हुआ है।"

ममता के पति को 1999 में एक कत्ल के मामले में दोषी पाया गया था। सुषमा का पति व 146 अन्य मज़दूर 18 जुलाई 2012 को हुई मारुति सुजुकी के मानव संसाधन प्रबंधक अवनीश कुमार देव की हत्या के आरोपी हैं। हरियाणा राज्य के सरकारी वकील के टी एस तुलसी, जो प्रति सुनवाई के 11 लाख रुपये लेते हैं, ने दावा किया है आरोप साबित करने के लिए उनके पास 23 गवाह हैं। मज़दूरों के वकील राजेन्द्र पाठक का कहना है, "सिर्फ़ एक वरिष्ठ प्लांट प्रबंधक प्रसाद ने यह दावा किया है कि उन्होंने जिया लाल नामक एक मज़दूर को मारुती प्लांट में आग लगाते हुए देखा। जब उनको मज़दूरों में से जियालाल की पहचान करने के लिए कहा गया तो वे ऐसा न कर सके।"

मई 2013 में जब मज़दूरों की पहली जमानती अर्जी खारिज हुई थी तब हरियाणा और पंजाब उच्च

न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि "श्रमिक अशान्ति के भय से विदेशी निवेशक भारत में पूँजी निवेश करने से मना कर सकते हैं।" यह मामला एक मिसाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि आरोप साबित होते हैं तो सभी 147 मज़दूरों को सख्त से सख्त सजा होगी, यानी कि उनको दो दशकों से भी अधिक समय के लिए कैद हो सकती है।

सुषमा के हाथ में एक बैग था जिनमें तीन किताबें थीं: अंग्रेज़ी से हिन्दी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आध्यात्म पर एक किताब और भारतीय श्रम कानून का एक संक्षिप्त संस्करण। महिला पुलिसकर्मी ने सभी पेजों को एक-एक करके पलटकर देखा और सुषमा की ओर मुखातिब होकर बोली, "जेल के भीतर लॉ बुक और डिक्शनरी ले जाने की क्या ज़रूरत है। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती।"

दरवाज़ा दस फीट चौड़े एक कमरे में खुलता है जो लोहे की जालीदार सलाखों के दो समानान्तर सेटों द्वारा बड़ी सफ़ाई से दो हिस्सों में बँटा था जो एक दूसरे से तकरीबन एक फीट की दूरी पर थे। दोनों में पहले राउण्ड के मिलने वालों की कतार लग गई जिसमें 15 लोग थे।

वे सलाखों के इस ओर इन्तज़ार कर रहे थे।

"आज बहुत कम लोग हैं," सुषमा ने गौर किया।

"आज सुबह बादल थे, इसलिए," ममता ने अनुभव के आधार पर कहा।

जानने से भी कोई फायदा नहीं होता

वे इंतज़ार कर रही थीं, उसी बीच जाली के उस ओर से पहला आदमी दिखा। उसे देखते ही अंशु, एक अन्य मारुति मज़दूर सुमित का दो साल का बेटा, खुशी से चिल्ला उठा। अपने जन्म से ही उसने हमेशा अपने पिता को सलाखों के पीछे ही देखा था। उसकी मां ने उसे गोद में उठा लिया ताकि वह अपने पिता को साफ़-साफ़ देख सके।

"मेरे वो आज मुझे इंतज़ार करवायेंगे। वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं उनकी रिहाई के लिए ज़रूरी कागज़ी काम तेजी से नहीं करा पायी," ममता बोली। सोहन आता है, वह ताज़ातरीन नहाया हुआ था, उसने

अच्छे से दाढ़ी बनायी थी, बालों में कंघी की थी और बायीं ओर मांग काढ़ी थी। दूसरी ओर सुषमा को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा।

वे सलाखों के दोनों ओर एक दूसरे के शीशे के अक्स के समान खड़े हैं, वे लोहे की जालियों को कसकर पकड़े खड़े हुए हैं ताकि वे एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ जायें। सुषमा ने मेरी ओर इशारा किया और फिर सोहन ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

जल्द ही और बन्दी आते हैं और धीरे-धीरे शोरगुल बढ़ने लगता है। ममता का पति, एक अर्धे उम्र का भारी-भरकम आदमी जो सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहने थे और गमछा ओढ़े था, आता है और फ़र्श पर पलट्ठी मारकर बैठ जाता है। ममता उसे देखती है और वह भी दूसरी ओर उसी तरीके से बैठ जाती है। "आने के लिए धन्यवाद, मैडम। हमें तो सभी भूल गये हैं। मीडिया ने भी हमारी मदद करना बन्द कर दिया है। क्या इसी को कॉरपोरेट मीडिया कहते हैं?" सोहन बोला।

"तीन-चार ऐसे लड़के हैं जिनके बच्चे मर गये, लेकिन वे उनके अन्तिम संस्कार में भी नहीं जा सके... एक अन्य लड़के के पिता पिछले साल चल बसे और वह समय से अन्त्येष्टि में नहीं पहुँच पाया। वे दूर-दराज़ से आये हुए थे, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हिमांचल प्रदेश से, तो कोई राजस्थान, उड़ीसा या अन्य जगहों से था और वे अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवारवालों ने आना बन्द कर दिया है क्योंकि वे अब आने का खर्चा नहीं वहन कर सकते। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को छह महीने से ज़्यादा समय से नहीं देखा है। तीन-चार लड़के तो अपना मानसिक सन्तुलन खो रहे हैं," उसने कहा।

मैं थोड़ा पीछे हट गयी ताकि वह सुषमा के साथ रह सके। अब वे चिल्लाकर बात करने लगे थे ताकि वे एक दूसरे की आवाज़ सुन सकें। इसी तरह बाकी सभी चिल्लाकर बात कर रहे थे। सभी मुस्कुरा रहे थे, इन बेशकीमती लम्हों में वे खुश थे क्योंकि वे एक दूसरे को देख पा रहे थे।

दो मिनट बाद सोहन ने मुझे बुलाया। "दूर मत खड़ी होइये। आजकल बहुत कम ऐसा होता है जब मैं नये लोगों से मिल पाता हूँ," वह हँसा। "अन्दर हालात कैसे हैं?" मैंने पूछा। "ठीक हैं। हमें साधारण खाना मिलता है," वह हँसा, "कच्ची रोटी और पतली दाल। एक पुस्तकालय है और एक डाक्टर रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। एक कैटीन भी है। हम चाहें तो खाने की चीजें खरीद सकते हैं लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं। मेरी पत्नी कमाती है इसलिए मैं तो उन्हें खरीद सकता हूँ, लेकिन जिनसे मिलने कोई नहीं आता या जो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे उन्हें जो थोड़ा-बहुत खाना मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। हमें जो मिलता है उसे हम साझा करते हैं... उनमें से कुछ कैजुअल मज़दूर हैं, एक तो ऐसा है जिसने घटना के कुछ ही दिनों पहले काम शुरू किया था। कम से कम उन्हें तो छोड़ देना चाहिए।" वह फर्फटे से बोलता गया।

वह थोड़ी देर रुका और हमारे पास में ही अपने परिजनों से मिल रहे चार अन्य मारुति मज़दूरों की ओर इशारा करते हुए बोला, "हम सब की अवनीश कुमार से अच्छी बनती थी। हम उनसे अकसर सलाह-मशविरा किया करते थे। हम भला उनकी जान क्यों लेंगे? क्या पेशाब करने के लिए पर्याप्त समय और मेडिकल छुट्टी की मांग करना हत्या है? ऐसा तो जेल में भी नहीं है। जब मैं उस दिन काम पर गया था तो मुझे क्या पता था कि मैं अगले दो सालों तक जेल में रहूँगा। और अब भी मुझे यह नहीं पता कि यहां मुझे और कितने साल बिताने हैं।"

पुलिस कांस्टेबल आया और उसने घोषणा की कि आगंतुकों के लिए बस एक और मिनट का समय बचा है। ऐसा सुनते ही आगंतुक और बन्दी जालीनुमा सलाखों के करीब आ गये। अन्तिम आधे मिनट में सभी मारुति के मज़दूरों ने एक साथ होकर मेरा अभिवादन किया। सोहन चिल्लाते हुए बोला, "मैडम, कृपया कुछ करने की कोशिश कीजिये!"

लोगों को बाहर कर दिया गया। ममता सबसे अन्त में बाहर निकली। उसका पति इस जेल के सबसे

पहले कैदियों में से एक था।

वे बाहर आयीं और उन्होंने अपने-अपने बैग वापस लिये। सुषमा की आँखों में आँसू थे। "मैं उसे ऐसा दिखाती नहीं हूँ कि मैं दुखी हूँ," वह बोली। "वह मुझसे पूछता है कि क्या उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं। मैं झूठे ही कह देती हूँ कि हां उन्होंने पूछा था। बाहर जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से मैं उसे परेशान नहीं होने देना चाहती हूँ," थोड़ा रूककर उसने कहा, "मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती लेकिन उसकी ज़रूरत की कोई भी चीज़ के लिए एक दिन का भी इंतज़ार नहीं करवाती। इन दो सालों में मैंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि मैं उसके लिए और उन बन्दियों के लिए कपड़े खरीदने में पैसे लगाती हूँ जिनके परिवार वाले उनका खर्च नहीं उठा सकते।"

हम कार में बैठे। "लोग क्यों आतंकवादी बनते हैं? वे आतंकवादी इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी पूरी उत्पादक युवावस्था तो जो जायज़ है उसे मांगने में जाया हो जाती है।" सुषमा ने सख्त आवाज़ में कहा। ममता ने कहा, "मुझे नहीं पता कि जब मेरा पति बाहर आयेगा तो क्या करेगा, उसे तो यह भी नहीं पता कि इतने सालों में चीज़ें कितनी बदल गयी हैं। मोदी ने तो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे तो नहीं आये।"

सुषमा ने कहा, "इस महीने राशन में मैंने सिर्फ एक बोतल तेल खरीदा है। कीमतें एक बार फिर से बढ़ गयी हैं। ऊपर से किराया और सोहन व अन्य बन्दियों का खर्चा। अगर उन्हें सजा हो गयी होती तो कम से कम मुझे यह पता होता कि आखिर कब तक इस तरह की जिन्दगी बितानी पड़ेगी।"

ममता बोली, "जानने से भी को कोई फायदा नहीं होता। मुझे तो पता था कि 14 साल बिताने हैं, लेकिन अब तो 15 साल हो गये हैं।"

सुषमा बोली, "शायद तुम सही कह रही हो। तुम किस तारकेश्वर मन्दिर की बात कर रही थी? उसने पूछा।

"वह पास में ही है। अगली बार चलेंगे," ममता ने जवाब दिया।

## ये प्यास है बड़ी : नर्मदा का हर रोज 30 लाख लीटर पानी निगलेगा कोका कोला !

**कोका कोला को प्रतिदिन 30 लाख लिटर्स नर्मदा का पानी....**

**मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के आदिवासी-किसान, खेती, संपदा की बरबादी क्यों?**

**सरदार सरोवर पर पुनर्विचार जरूरी**

बड़वानी (मध्य प्रदेश): गुजरात से यह खबर आयी है कि नर्मदा का जल जो सरदार सरोवर के द्वारा राज्य को मिल रहा है उसमें से, कोका कोला प्लान्ट को जो 500 करोड़ रु. के पूंजी निवेश के साथ साजंद, जिला खेडा में शुरू हो रहा है, उसे बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। हर रोज करीबन् 30 लाख लिटर्स पानी कोका कोला की निर्मिती के लिए दिया जाएगा जब कि साजंद में लगी और लगने वाली फैक्टरीयों के लिए 90 लाख लिटर्स पानी प्रतिदिन पहले से ही दिया जाना तय है। 20 लाख लिटर्स तो आज ही, साजंद में बसी टाटा और फोर्ड जैसी गाडियों निर्माण करने वाली कंपनियों को दिया जा रहा है। सरदार सरोवर की सच्चाई और मूल योजना का उल्लंघन अब सामने आ चुका है।

कोका कोला के कई प्लान्ट्स के सामने देश भर में कई संघर्ष चल रहे हैं कि वह फैक्टरी लाखों लिटर्स पानी खींचकर भूजल को नष्ट करती है और झूठे दावों के बावजूद क्षतिपूर्ति नहीं करती है, तब नर्मदा का पानी उन्हें करीबन् मुफ्त में देना एक विडंबना ही है।

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, के आदिवासी गाव और जंगल, तथा मध्यप्रदेश के मैदानी क्षेत्र के, बड़ी जनसंख्या के, अतिउपजाऊ, खेत जमीन के गाव, खेती, लाखों पेड, मंदिरे, मजिस्टे, सभी डूबाकर, उसके विनाश को कच्छ-सौराष्ट्र की प्यास बुझाने के लिए तथा उत्तर गुजरात की सिंचाई के लिए समर्थनीय बनाकर यह परियोजना आगे धकेली गयी है। लेकिन अब कोका-कोला जैसे, उपभोग की वस्तु बनाने के लिए नर्मदा का पानी प्राथमिकता के साथ देने की साजिश रची गयी है। कोका-कोला जैसे प्लान्ट को पानी देकर, इर्दगिर्द की कंपनियों को भी पानी देकर उन्हें जमीन भी आरक्षित करने से गुजरात शासन अब कच्छ-सौराष्ट्र या उत्तर गुजरात को, खेती की

सिंचाई याने खेतीहरों के पक्ष में इस योजना के लाभ मोडना छोड़ रही है। जाहिर है कि करीबन् 4 लाख हेक्टर्स सरदार सरोवर के लाभ-क्षेत्र की जमीन या अ-राजपत्रित करना (लाभ से वंचित करना) गुजरात सरकार शुरू कर चुकी है। पानी और जमीन की उपयोगिता बदलने से जब कि परियोजना की लाभ-हानि और उद्देश्य तथा ब्यौरा ही बदल गया है, तब भी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शासन इस पर न ही आपत्ति उठा रही है, न ही पुनर्विचार की मांग कर रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन चाहता है इस पर समाज विचार करे।

सरदार सरोवर परियोजना की लागत, शासन से जून 2014 में किये गये वक्तव्य के अनुसार, जो मूल 4200 करोड़ थी, अब 90,000 करोड़ रु. हो चुकी है। सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में 40 से 45 हजार परिवार आज भी निवासरत है, जिसका कानून अनुसार, खेती या वैकल्पिक आजीविका देकर पुनर्वास होना बाकी है। पुनर्वास स्थलों पर सभी सुविधाएँ न होते हुए इन तमाम पुनर्वास के मुद्दों/कार्यों में करोड़ों के भ्रष्टाचार की जाँच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से नियुक्त न्याय, श्रवण शंकर झा आयोग द्वारा जारी है। ऐसे स्थिति में संपूर्ण परियोजना पर पुनर्विचार कब्जे में आज तक नहीं है जमीन /मकान /कुएँ/पेड आदि संपदा के हकदार भूअर्जन संबंधी नये कानून, 2013 (धारा 24) के अनुसार फिर एक बार मूल गाववासी हो चुके हैं। इसलिए भी इस संपदा को डूबाना या बरबाद करना न्यायपूर्ण और कानूनी नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन चाहता है कि इस पर समाज के संवेदनशील तबके और सरकार भी तत्काल ध्यान दे और सरदार सरोवर के संपूर्ण पुनर्विचार की मांग करते हुए, बांधों को आगे बढ़ाने, हजारों परिवार, खेती की भूमि और सार्वजनिक संपदा, पुरातत्व शास्त्रीय धरोहर भी बरबादी से बचाए।

## नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान की पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया !

सिंगरौली। 26 सितंबर 2014। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज कहा कि एस्सार व हिंडालकों के संयुक्त उपक्रम को मिली पर्यावरण मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अवैध हो गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 214 कोल खदान को रद्द करने के फैसले के बाद एन जी टी के फैसले से महान कोयला खदान के अगल-बगल में रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। वहां के हजारों ग्रामीण लोगों ने जुलूस निकालकर इस फैसले का स्वागत किया और इस संकल्प को दोहराया कि अब फिर से किसी भी परिस्थिति में कोल खदान को आबंटित नहीं देने दिया जाएगा।

एन जी टी का फैसला महान संघर्ष समिति (एमएसएस) द्वारा दायर किए गए याचिका के बाद आया है जिसमें एम एस एस ने महान में कंपनी को मिले वन मंजूरी को चुनौती दी थी। इस परियोजना से करीब 5 लाख पड़ कटते और 50 हजार ग्रामीणों की जीविका प्रभावित होती।

सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी के फैसले से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। महान संघर्ष समिति ने अमिलिया में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके अपनी खुशी जाहिर की। आज सुबह से महान वन क्षेत्र में जश्न और मेले का माहौल रहा। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने लोकगीत और लोकनृत्य करके अपनी खुशी को जाहिर किया। साथ ही, ग्रामीणों ने गांव में जुलूस निकाला और अपने देवता डीह बाबा की पुजा भी की।

एमएसएस के कृपानाथ यादव ने कहा, "एस्सार और हिंडालकों के प्रस्तावित कोल खदानों के खिलाफ लड़ते हुए हमने लगातार धमकियों, गैरकानूनी गिरफ्तारी और छापेमारी का सामना किया है। हम जानते हैं कि यह अस्थायी जीत है, लेकिन हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम आगे किसी भी परिस्थिति में फिर से कोल खदानों को आबंटित नहीं होने देंगे और जंगल का विनाश होने से बचाएंगे।"

महान संघर्ष समिति की सदस्य और ग्रीनपीस की सीनियर कैंपेनर प्रिया पिल्लई ने कहा, "जंगलों को खत्म करने वाली खनन परियोजनाओं के खिलाफ ग्रामीणों के बढ़ते विरोध का महान एक अच्छा उदाहरण है। कंपनी दुःसाहसी होगी जो वन क्षेत्र में पड़ने वाले कोल ब्लॉक में नीलामी करके निवेश करेगी, जहां पहले से ही खनन का इतना तीव्र विरोध है। कोर्ट के फैसले से ग्रीनपीस के कामों को भी प्रमाणिकता मिली है, जिसपर महान में खनन कार्य के खिलाफ आवाज उठाने पर आईबी रिपोर्ट तक लाया गया था। कोर्ट ने दिखा दिया कि हमलोग सही थे।"

सरकार ने कहा है कि वो निरस्त कोल ब्लॉक की नीलामी के लिये जल्दी से नीति बनायेगी। महान संघर्ष समिति और ग्रीनपीस ने मांग की कि सरकार को कोयला खदान के नीलामी से पहले नयी कसौटी बनानी चाहिये जिससे महान जैसे घने जंगल क्षेत्र को बचाया जा सके।

इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून लागू करने का बुरा हाल है। हालात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि महान जंगल पर 54 गांव के लोग निर्भर हैं लेकिन सिर्फ अमिलिया गांव के ग्रामसभा से ही इसे पारित करवाया गया। उस ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को भी फर्जी तरीके से पास कराया गया था, जिसमें कम से कम 9 मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर थे।

वनाधिकार कानून के तहत किसी भी परियोजना से पहले सामुदायिक वनाधिकार के दावे की पूर्ती करनी है। प्रिया ने कहा, "महान वन क्षेत्र के पांच गावों के लोगों ने सामुदायिक वनाधिकार के दावे प्रस्तुत किये हैं लेकिन अभी तक उसे माना नहीं गया है। स्थानीय प्रशासन उन लोगों को वन अधिकार दिलाने में पूरी तरह असफल रहा है।" महान संघर्ष समिति और ग्रीनपीस महान जंगल में कोल खदान को आबंटित करने के साथ-साथ वन अधिकार कानून में किसी भी परिवर्तन का विरोध करेगी।

## सरदार सरोवर परियोजना: समीक्षा की अनिवार्यता

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की अनुमति के साथ ही पुनर्वास की वास्तविकता और विस्थापन की विभीषिका के प्रश्न पुनः चर्चा में आ गए हैं। अनेक दस्तावेज व गांवों में रह रहे चर व अचर सभी यह सिद्ध कर रहे हैं कि पूर्ण पुनर्वास तो दूर अभी तो पूर्ण विस्थापन ही नहीं हुआ है। जबकि कुछ समय पूर्व तक नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण 'जीरो बैलेस' यानि पूरी नर्मदा घाटी खाली हो चुकी है की बात करता रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं और लोक व देशहित में निर्णय लें। पेश है भारत डोगरा का आलेख जिसे हम सप्रेस से साभार आपसे साझा कर रहे हैं.



नर्मदा नदी पर बन रही सरदार सरोवर बांध परियोजना एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक ओर सरकार बांध की ऊंचाई को 17 मीटर बढ़ाने के निर्णय पर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नर्मदा बचाओ आंदोलन दो लाख या उससे अधिक उन विस्थापितों की रक्षा के लिए अंतिम मोर्चा संभाल रहा है जिनका पुनर्वास हो जाने का दावा सरकार ने किया है। परन्तु उनका वास्तविक पुनर्वास अभी तक नहीं हो सका है।

इस संदर्भ में सरकारी पक्ष व आंदोलन पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारियों में बहुत अंतर है। यह अंतर कुछ हद तक इस आधार पर समझ में

आता है कि सरकार ने पुनर्वास की कुछ औपचारिकताओं को तो पूरा कर ही दिया है जैसे कि पुनर्वास स्थलों को चिन्हित करना व कुछ नकद क्षतिपूर्ति कर दी गई है। पर प्रश्न यह है कि क्या अधिकांश विस्थापित वास्तव में भली-भांति नए सिरे से बस पाए हैं? वहीं हकीकत यह है कि अनेक पुनर्वास स्थल खाली पड़े हैं और हजारों परिवार अभी भी डूब क्षेत्र में रह रहे हैं और बांध की ऊंचाई बढ़ने से वे संकटग्रस्त होते हैं।

विस्थापन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य मध्यप्रदेश में बहुत कम विस्थापित परिवारों से जमीन के बदले जमीन का वायदा पूरा हुआ है। वहीं नकदी मुआवजे



में बहुत अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्वास से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच न्यायमूर्ति (से.नि.) झा आयोग द्वारा कराई जा रही है।

हमें स्मरण करना होगा कि मूल रूप से कितने वायदे विस्थापितों से किए गए थे (जिनके आधार पर परियोजना को स्वीकृति मिली थी)। इसी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में बहुत कम वायदे ही पूरे हुए हैं। यह स्थिति मध्यप्रदेश में स्पष्ट नजर आती है जहां अनेक फलते-फूलते गांव व समृद्ध खेती डूब क्षेत्र में आ रही है। आदिवासी हितों की रक्षा को एक राष्ट्रीय उद्देश्य माना गया है परंतु अनेक आदिवासी गांव भी इस परियोजना से डूब रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण व सुरक्षा संबंधी सरोकार हैं जो मोर्स समिति रिपोर्ट जैसे अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में पहले से ही दर्ज हो चुके हैं।

एक अन्य बड़ा सवाल यह है कि आरंभ में इस परियोजना से जिन विभिन्न लाभों का दावा किया गया था, क्या वे वास्तव में प्राप्त हुए हैं? परियोजना की स्वीकृति के समय सबसे अधिक समर्थन इस आधार पर प्राप्त किया गया था कि सौराष्ट्र व कच्छ के सूखाग्रस्त गांवों को इस परियोजना का पानी मिलेगा। यह लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं, बल्कि गांवों व खेती को मिलने वाला पानी उद्योगों या शहरों की ओर मोड़ दिया गया।

लाभ-हानि का मूल्यांकन कर जब परियोजना को स्वीकृति दी गई तब इसकी लागत 4200 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जबकि वर्ष 2012 में योजना आयोग ने इसकी लागत को लगभग 70000 करोड़ रुपए आंका, जो अब बढ़कर 90000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस दौरान जितना लाभ हुआ या दुष्परिणाम सामने आए यह भी स्पष्ट हो गया है। बांध की डूब से अनुमान से कहीं अधिक विस्थापन होने वाला है, तो दूसरी ओर नहरों से होने वाला विस्थापन भी कोई कम नहीं है।

इन सब जानकारियों के आधार पर अब नए सिरे से आकलन करना चाहिए कि इस परियोजना से देश ने क्या खोया और क्या पाया।

इस तरह का आकलन तमाम नई जानकारियों के साथ पूरी ईमानदारी से हो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या राष्ट्रीय हित में है और क्या नहीं। निश्चय ही यह महज अकादमिक महत्व का सवाल नहीं है अपितु यह इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देश भविष्य में बेहतर निर्णय ले सके और इन निर्णयों को लेने के सही मानदंड व प्रक्रियाएं तैयार हों।

इसके अतिरिक्त इस नजरिए से भी लाभ-हानि का मूल्यांकन होना चाहिए कि बांध की ऊंचाई को बढ़ाने या न बढ़ाने से लाभ ज्यादा होंगे या हानि। साथ ही साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि लगभग 2 लाख लोगों को, उनके गांवों व खेतों को क्या इस समय भी डूब क्षेत्र में आने से बचाया जा सकता है?

एक मुद्दा तो यह है (जो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने तमाम तथ्यों, पिछले वायदों, समझौतों व न्यायालय के निर्देशों सहित उठाया है) कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने से पहले उचित पुनर्वास संबंधी अनेक कार्यों को पूरा किया जाना जरूरी है। इसी के साथ दूसरा पक्ष यह है कि यदि लाभ-हानि के व्यवस्थित मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बांध की ऊंचाई को और बढ़ाना उचित नहीं है तो अनेक गांवों को अभी भी डूब क्षेत्र में आने से बचाया जा सकता है।

यह निर्णय किसी पूर्वाग्रह या जिद के आधार पर नहीं लेना चाहिए। न ही यह निर्णय किसी बड़े निहित स्वार्थ के दबाव में लेना चाहिए। निष्पक्ष समीक्षा के पश्चात वही निर्णय लेना उचित होगा जो लोगों व पर्यावरण के हित में हो।

## रिलायंस की लूट और अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण जनता एकजुट

26 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली के अमलोरी स्थित रिलायंस कोल् ब्लॉक के गेट के पास सुबह 6 बजे से कंपनी और प्रशासन के वायदा खिलाफी के विरोध में सैकड़ों आदिवासी और दलित स्त्री पुरुष एकत्र हुए। राजस्व के अधिकारियों ने लिखित तौर पर 5 दिन का समय माँगा है। पेश है लोकविद्या जन आन्दोलन की यह विज्ञप्ति;

अमलोरी स्थित रिलायंस के कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार पर कन्वेयर बेल्ट के नीचे रिलायंस और प्रशासन के वायदाखिलाफी के विरोध में मुहेर और अमलोरी गांव के लोगों ने धरना दिया। इस धरने में दोनों ही गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष शामिल हुए। धरना स्थल पर सुबह 7 बजे से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। इस बाबत जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी श्री रामजी बसोर ने बताया कि यह धरना कम्पनी के द्वारा किये जा रहे अन्याय और कम्पनी को मिलते प्रशासनिक शह के खिलाफ आयोजित किया गया।



रामजी ने बताया कि यह धरना आदर्श पुनर्वास नीति 2002 व राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के अन्तर्गत 9 सूत्री मांगों पर किया गया। जिसमें मुख्य रूप से विस्थापित अथवा प्रभावित लोगों को स्थाई नौकरी मंहगाई भत्ता, पेंशन, निशुल्क आई टी आई प्रशिक्षण की मांग और कम्पनी द्वारा अवैध अतिक्रमण पर तत्काल रोक लगाने हेतु किया गया।

मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के बीच तहसीलदार श्री मिलिन्द ढोके ने लिखित तौर पर आश्वासन दते हुए कहा कि जिलाधिकारी के सिंगरौली पहुंचते ही समस्त समस्याओं को लेकर बैठक करेंगे। उन्होंने आश्वासन करते हुए कहा कि कम्पनी का व्यवहार अमानवीय और विधि विरुद्ध है और इसका संज्ञान लिया जायेगा। धरने में उपस्थित सैकड़ों लोगों की मांग पर तहसीलदार ने यह स्वीकार किया कि उक्त बैठक में रिलायंस के उच्च अधिकारियों को भी बुलाया जायेगा ताकि शिकायतों का त्वरित निबटारा किया जा सके।

धरने में शामिल किसान आदिवासी विस्थापित एकता मंच की सदस्य एकता ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सिंगरौली के लोगों पर कम्पनियों के माध्यम से अन्याय हो रहा है। इस धरने में उपस्थित स्त्री पुरुषों का असंतोष इस बात का सबूत है कि जिला प्रशासन अपने आश्वासनों से हमेशा मुकरता रहा है। एकता ने आगे कहा कि अगर इस बार फिर ग्रामीणों की समस्या सुलझाने में लापरवाही बरती गई तो पुनः ऐसे ही धरने का आयोजन कर लम्बा संघर्ष छेड़ा जायेगा।

कन्वेयर बेल्ट से पैदा होते ध्वनि और वायु प्रदूषण के कारण न केवल कई गांव की खेती नष्ट हो रही है बल्कि आम जन जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। महिलाओं ने प्रशासन से इस संदर्भ में भी न्यायोचित कार्यवाही की मांग की।

## अपनी भूमि पर बेघर आदिवासी

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले का सहरिया आदिवासी समुदाय देश का सर्वाधिक कुपोषित आदिवासी समुदाय है। लेकिन उसकी खेती की जमीनों पर गैर आदिवासियों ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा तब हो रहा है जबकि उनका क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची में आता है, जहां पर गैर आदिवासी उनकी जमीन की खरीद फरोख्त ही नहीं कर सकते। वैसे सरकारें भी गरीबों के हित में पहल करने से बचती रही हैं। पेश है प्रशांत कुमार दुबे का आलेख;



मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के मायापुर गांव की सामंधे आदिवासी (सहरिया) महिला पिछले दो दशक से अपनी 19 बीघा सिंचित जमीन पर कब्जा लेने की लड़ाई लड़ रही हैं। इस प्रक्रिया में वह कई बार पटवारी, तहसीलदा, कलेक्टर कार्यालय जा चुकी हैं। अनेक जनसुनवाईयों में उनका आवेदन लगा है। सरकारी तंत्र से आस टूटी तो एकता परिषद जैसे जनसंगठन के साथ मिलकर लड़ाई शुरू की। उन्होंने जनादेश 2007 में भी भाग ले लिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर, आगरा और ग्वालियर आदि तक स्थानों पर जा चुकी हैं। भू-अधिकारों के लिए ऐतिहासिक जन सत्याग्रह 2012 में भी गईं। परंतु उनकी अपनी लड़ाई अभी जारी है।

सामंधे के पति बद्री यह लड़ाई लड़ते-लड़ते चल बसे। उनके तीन बेटे हैं। एक विकलांग है और दो बच्चे काम और मजदूरी के अभाव में गांव छोड़कर जयपुर पलायन पर गए हैं। गरीबी की इस चरम स्थिति में भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है। पहले था, लेकिन बाद में वह भी छीन लिया गया। गांव में काम नहीं मिलता, जॉब कार्ड कोरे पड़े हैं। अतः उन्हें कभी जंगल से लकड़ी लाकर बेचना पड़ती है तो कभी नदी के पत्थर तोड़ना पड़ते हैं। एक ट्राली

पत्थर तोड़ने पर 300 रु. मिलते हैं और इतना काम 7 दिनों में हो पाता है।

यह कहानी अकेली सामंधे की नहीं है बल्कि इस गांव के 45 आदिवासी परिवारों के पास उनकी अपनी ही जमीन के कब्जे नहीं हैं। आज उनकी जमीनों या तो पंजाब से आए सरदारों ने कब्जा कर लिया या फिर श्योपुर के रसूखदारों ने। ज्ञात हो कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी की जमीन किसी दूसरे के नाम पर स्थानांतरित नहीं हो सकती है पर यह सब कैसे हो गया और होता जा रहा है, यह समझ से परे है?

सहरिया एक आदिम जनजाति समुदाय है जो कि देश की 75 संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है।

इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (इफ्प्री) की मानें तो इस समुदाय में खाद्यसुरक्षा की गंभीर स्थितियां हैं और इनके बच्चों में पाया जाने वाला कुपोषण इथोपिया और चाड जैसे अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि इस समुदाय के साथ भू सुधारों की पहल होती है तो निश्चित रूप से यह इन्हें भूख की स्थिति से भी निजात मिलेगी। पर पिछले लंबे समय से चल रही इस राजनीतिक लड़ाई को अभी तक वास्तविक धरातल नहीं मिल पाया है। वैसे भी राजनीति संसाधनों के समान बंटवारे पर या तो मौन रहती है या फिर अपनी मुखर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसके तार भी सामंतवाद से गहरे से जुड़े रहते हैं। सरकारें भी गरीब गुरबा समुदायों के सिर्फ वोट चाहती हैं।

मध्यप्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर केंद्र के राष्ट्रीय भूमिसुधार नीति के मसौदे की तरह राज्य भूमिसुधार नीति बनाती और उसे लागू करती तथा अपनी ओर से पहल करते हुए वंचित वर्गों की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की पहचान करतीं और उन्हें कब्जे से छुड़ाती। पर ऐसा नहीं हुआ। श्योपुर जिले के श्योपुर, कराहल और विजयपुर ब्लाक के 239 गांवों में महात्मा गांधी के अनुयायी विनोबा भावे के नेतृत्व में सन् 1951 में जन्मे भूदान आंदोलन ने पहले अमीरों को अपनी भूमि भूस्वामियों को स्वमेव प्रेरित किया बाद में यह भूदान अधिनियम बना गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को भूमि बैंक से भूमि का वितरण करना था। त्रेसठ बरस पूरे कर चुके आंदोलन के अंतर्गत पिछले छः दशकों में सरकार ने 9,71,000 हे. जमीन भूमिहीनों में बांटी है।

मध्यप्रदेश में 4.10 लाख एकड़ जमीन दान में आई थी और उसमें से 2.37 लाख एकड़ जमीन का ही वितरण हुआ, बाकी की 1.7 लाख एकड़ जमीन नहीं बंटी पर चम्बल घाटी, सामंधे और मायापुर जैसे

प्रकरण बताते हैं कि जो जमीन भी बंटी वह जमीन दरअसल में उन्हें मिली ही नहीं जो इसके हकदार थे बल्कि जमीन तो दबंगों ने हथिया ली। सरकार के पास वर्तमान में इस भूमि से संबंधित कोई लिखित जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए संघर्ष जारी रखना होगा।

भूमिसुधारों पर दोनों ही सरकारों केंद्र एवं राज्य, ने अपने-अपने तरीके से लोगों को बरगलाया है। जब लगभग दो वर्ष पहले मध्यप्रदेश से निकलकर 50,000 पदयात्री जनसत्याग्रह अभियान के तहत दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तब शिवराज सरकार ने उनकी मंशा भांपी और स्वयं मुख्यमंत्री ने यात्रा में पहुंचकर कहा कि मध्यप्रदेश जो कर सकता है और उसके दायरे में जो अधिकार हैं, वह किया जाएगा।

1024 हेक्टेयर जमीन दबंगों के कब्जे में है। इससे पूरे प्रदेश में की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक केवल ग्वालियर चम्बल संभाग में ही आदिवासियों और दलितों की 20,000 बीघा जमीन दबंगों के कब्जे में है।

आदिवासियों ने एकता परिषद के ही आनुशंगिक संगठन महात्मा गांधी सेवा आश्रम के साथ मिलकर 2007 से लड़ाई लड़नी शुरू की और बाद में 35 लोगों को नोटिस हो पाया लेकिन उनमें से अधिकांश के मौके कब्जे शेष हैं। सामंधे और बाकी अन्य गांव वालों के सामने तो करो या मरो की स्थिति ही निर्मित हो गई है। शासन व्यवस्था की नाकामी पर सामंधे कहती हैं कि सरकार से तो कोई आस नहीं है अब तो आस बस आंदोलन से ही बची है।

## पेंच डूब प्रभावित किसान : किसान प्रशिक्षण शिविर

किसान संघर्ष समिति द्वारा ग्राम बोहनाखैरी में 8 से 10 सितंबर 2014 तक तीन दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 150 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण शिविर में पेंच परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले 26 गांवों के किसान शामिल हुए। शिविर में पेंच परियोजना, अडानी पॉवर परियोजना से संबंधित मुद्दों -



1. अडानी को मरघट की जमीन आवंटित किया जाना।
2. नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू न किया जाना।
3. अभी तक पेंच परियोजना के कई गांवों में अवार्ड भी घोषित नहीं किया जबकि बांध के निर्माण का काम अवैध रूप से जारी रखना।
4. मुआवजा घोषित होने के बावजूद आज तक 30 प्रतिशत की मुआवजे का भुगतान किया जाना।
5. भूतेरा गांव के विस्थापितों को बसाने के लिए नियमानुसार पुनर्वास की व्यवस्था नहीं किया जाना।
6. डूब क्षेत्र के कई गांवों में सर्वे किये बिना ही अवार्ड घोषित किये जाना। जैसे ककई, जम्होडी पण्डा आदि।

7. ग्रामसभाओं की सहमति लिए बिना भूअर्जन की कार्यवाही किया जाना।  
आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आगामी 30 सितंबर को किसान संघर्ष समिति द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन सौपने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन में अडानी कंपनी को छिंदवाडा ब्लाक के चौरई क्षेत्र में मरघट की भूमि आवंटित किये जाने का विरोध किया जाएगा। पेंच परियोजना में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए डूब क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों में किसान संघर्ष समिति की कमेटीयों बना कर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किसान संघर्ष समिति द्वारा नए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों से प्राप्त अधिकारों को पाने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च

न्यायालय में याचिकाएं दर्ज की जाएगी। शिविर के दौरान जौरा के पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा एवं आर्थिक समानता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक बघेल ने किसानों को उनके साथ सरकारों द्वारा किए जा रहे भेद भाव की तथ्यात्मक जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि सभी राजनैतिक दल किसान, किसानी और गांव को नष्ट भ्रष्ट करने में आमादा हैं। शिविर के समापन पर मुख्य वक्ता डॉ. सुनीलम् ने किसानों से अपनी शक्ति पहचानने, जागरूक होकर मजबूत संगठन खड़ा कर संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब भी जरूरत होगी वे डूब क्षेत्र में डेरा जमाने का काम करेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि जिस दिन वे मुकदमों तथा जेल से डरना बंद कर देंगे उसी दिन किसानों की मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। एड. आराधना भार्गव ने किसानों को संबोधित करते हुए आंदोलन को और तेज करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एड. आराधना भार्गव ने कहा कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि बहुफलीय एवं सिंचित भूमि को अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि धारा 24 में उल्लेख किया गया है कि जिन गांवों में अवाई पारित नहीं हुआ है तथा किसान जमीन के कब्जे में हैं उन्हें नए भू-अर्जन अधिनियम का लाभ मिलेगा। पुराने भू-अर्जन अधिनियम की सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य हो चुकी है। अगर सरकार चाहे तो भू-अर्जन की नए सिरे से नए कानून के मुताबिक पुनः कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है। नए भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार किसान अपने खेत एवं मकान के मालिक हो चुके हैं इस संबंध में किसानों ने जिलाधीश छिंदवाड़ा को पत्र के माध्यम से सूचित भी कर दिया है।

जनआंदोलनों के राष्ट्रीय संमन्वय की संयोजिका सुश्री मेधा पाटकर ने फोन पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान जिनके पास खेती की जमीन के कब्जे हैं वे खेत की फसल के साथ अपना फोटो तथा जिस मकान में किसान रह रहे हैं उसका फोटो तथा मकान के कब्जे के दस्तावेज जैसे बिजली का बिल, संपत्ति कर की रसीद लगाकर कलेक्टर के पास आवेदन पत्र दें जिससे यह सबूत हो सके कि किसान का भौतिक कब्जा खेती तथा मकान पर है। जिलाधीश के समक्ष इस बात का आवेदन करें कि वे अब उक्त भूमि एवं मकान के मालिक हो चुके हैं तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर मालिक जोड़ा जाए।



## जुड़ती नदियाँ, बिखरता जीवन: केन-बेतवा नदीजोड़ परियोजना और आदिवासी विस्थापन

सरकारी दस्तावेजों की माने तो पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क के अन्दर बसे चार गाँव वर्ष 2010 में ही विस्थापित कर दिए गए थे। लेकिन हकीकत में गाँव आज भी आबाद हैं। वहाँ प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन बन रहा है। गरीब किसान मुआवजे की ताक में लगातार कर्जदार बनता जा रहा है। वहाँ सरकारी घुसपैठिये पहले की तरह आते - जाते हैं। आदिवासी के साथ ये विडंबना है कि विस्थापन के डर से वे न तो महानगरों में रोजगार के लिए जा पा रहे हैं और न खेतों में। आशीष सागर दीक्षित की रिपोर्ट;



पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क और बफर जोन ( प्रतिबंधित क्षेत्र ) में शामिल कुल 10 ग्राम विस्थापित किये जाने हैं। लेकिन जनसूचना अधिकार में 1 जुलाई वर्ष 2010 को जल संसाधन मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया कि दौधन बांध ( ग्रेटर गंगऊ ) से प्रभावित होने वाले 10 गाँव में चार गाँव मैनारी, खरयानी , पलकोहा, एवं दौधन को वनविभाग विस्थापित कर चुका है। शेष छह गाँव में शुक्वाहा, भोरखुआ, घुघरी, बसुधा, कूपी और शाहपुरा हैं जिन्हें विस्थापित किया जाना है। करीब 8500 किसान इससे प्रभावित होंगे लेकिन सरकारी आंकड़ों में मात्र 806 किसानों के विस्थापन का जिक्र है। इस दोहरापन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले दौधन ग्राम की जनसंख्या 2500 है।

जंगलों से पकड़े जा रहे बाघों की तरह ये आदिवासी भी वनविभाग के गुलाम बनाये जा रहे हैं। इन्हें भी लोकतंत्र में वन्य जीवों की तरह आज स्वतंत्रता की दरकार है। बांध की जद में आने वाले आदिवासी पार्वती, शिवनारायण यादव ने बेबाकी से कहा कि 50 लाख रुपये मुआवजा चाहिए प्रति परिवार, जान देंगे मगर जमीन मुफ्त में नहीं देंगे, हमारी पीढ़ियाँ इन जंगलों की प्रहरी रही है जिसे वनविभाग ने उजाड़ दिया है। सरकारी कागज कहते हैं

आदिवासी लोगों का पुनर्वास मध्यप्रदेश सरकार के 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन विभाग, मध्यप्रदेश (एन.टी.सी.ए.) के माध्यम से किया जाना है। इन परिवारों के पुनर्वास-विस्थापन आदि कार्य केंद्र सरकार की वर्ष 2007 एवं मध्यप्रदेश सरकार की आदर्श विस्थापन नीति में दिए गए मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा। जिसमें आदिवासी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आजीविका के साधनों की व्यवस्था की जानी है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। पूर्व कांग्रेसी केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस परियोजना से पर्यावरण में दखलंदाजी होने के चलते अनुमति नहीं दी थी। पिछले दस वर्षों से गाँव रह - रहकर सर्वे कार्य चल रहा है। इस बात का अहसास कराने के लिए कि घर से बेघर होने के लिए किसी भी क्षण तैयार रहो।

उल्लेखनीय है कि प्रवास सोसाइटी ने टीम के साथ इस परिक्षेत्र के गाँवों का दो दिवस भ्रमण किया है। आदिवासी परिवारों से बातचीत की गई जिसमें कई परिवारों के बुजुर्ग, युवा साथी शामिल रहे हैं। बांध क्षेत्र से प्रभावित होने वाले शुक्वाहा गाँव के बलवीर सिंह, दौधन गाँव के गुबंदी कौंदर (अध्यापक), मुन्ना लाल यादव और पलकोहा गाँव के ग्राम प्रधान जगन्नाथ यादव अपना अपने पूर्वजों को याद करते हुए विस्थापन का दर्द बतलाते हैं। प्रधान ने दावा किया है कि वनविभाग की निगहबानी में रहते हैं यहाँ दलित आदिवासी।

आदिवासियों के लिए दिखलाये गए सब्जबाग से इतर बड़ी बात ये है हमें कभी इस बांध के बारे में कुछ नहीं बतलाया जाता है, उधर प्रति बीपीएल परिवार को मात्र 40,000 रुपये मुआवजा 2010 में मिली जनसूचना में जानकारी दी गई। तीन वर्ष पूर्व बांध परियोजना में लगभग 7,614.63 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान था जो अब बढ़कर 11 हजार करोड़ रुपया के करीब है। यानि केंद्र सरकार आदिवासियों के पुनर्वास पर 1 हजार करोड़ रुपये भी खर्च नहीं करना चाहती है। इस केन - बेतवा लिंक में नहरों के विकास पर 6499 हेक्टेयर सिंचित कृषि जमीन अधिग्रहीत की जानी है। आदिवासी परिवारों की माने तो 40 हजार में तो बमीठा कसबे में ही आवास की जमीन नहीं मिलेगी छतरपुर, खजुराहो की तो बात ही अलग है। इनके अनुसार 2 लाख रुपये एक परिवार को मुआवजा सरकार के हिसाब से होता है एक परिवार को। केन - बेतवा नदी गठजोड़ की डीपीआर के मद्देनजर कोई संवाद आज तक आदिवासी लोगो के साथ केंद्र या मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने स्थापित नहीं किया है। वे इसकी परिकल्पना मात्र से निःशब्द हो जाते जब ये बात पत्रकारों के तरफ से निकलती है कि आपको तो विस्थापित किया जा चुका है कागजों में। लेकिन उनके निःशब्द होने में व्यवस्था के प्रति आक्रोश साफ दिखता है।

सवाल उठता है कि विस्थापन हुआ है तो मुआवजा किसको दिया गया ? वे आज भी यही क्यों बसे हैं ? पन्ना टाइगर के जंगलो में जो कौंदर, सोर आदिवासी कभी मालिक हुआ करते थे आज वनविभाग के मर्जी बगैर एक लकड़ी तक जंगलों से नहीं उठा पाते हैं। जंगली सब्जियां तो दूर की बात है। बकौल श्यामजी कौंदर मेरा बचपन इन्ही जंगलो में गुजरा है जब उन यादों की तरफ पलटता हूँ तो जंगल शब्द व्यंग्य सा लगता है ! वो विशाल कैमूर का जंगल तो इन्ही वनविभाग के आला अफसरों ने लूट लिया। मोटे - मोटे पेड़ों के दरख्त रात के अंधेरो में शेर की चमड़ी की तरह बेच दिए गए हैं। बाघ, चीतल, हिरनों और अन्य का बसेरा हुआ करता था यहाँ मगर अब तो पट्टे वाले लाये हुए जोकर बसेरा करते हैं यहाँ जिन्हें कभी - कभार देखकर लोग पूर्णमासी के चाँद की तरह खुश हो लेते हैं। अब तो यहाँ मैदान और तबाही हाँ वो जंगल भी है जिनमें आदिवासी की लोक परम्परा अपनी अस्मिता को बचा पाने की जद्दोजहद अवसाद से लबालब हैं।



## क्या है केन - बेतवा नदी गठजोड़

देश की तीस चुनिन्दा नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना में से एक है केन - बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना । इस लिंक का हास्यास्पद पहलु ये है कि ग्रेटर गंगऊ बांध बन जाने के बाद दो बड़े बांध धसान नदी, माताटीला जल विहीन होंगे । रनगँवा बांध एक डूब क्षेत्र का बांध है इसमें बारिश का जल ठहरने से यह बांध की स्थिति में है इसका क्षेत्रफल बड़े दायरे में विस्तार लिए है वही दौधन बांध को केन में तटबंध बनाकर रोका गया है जिसे गंगऊ बैराज कहते हैं।

गंगऊ बैराज के अपस्ट्रीम से 2.5 किलोमीटर दूर दौधन गाँव में केन नदी पर ही 173.2 मीटर ऊँचा ग्रेटर गंगऊ बांध बनाया जाना है . यानि 24 किलोमीटर के दायरे में तीन बड़े बांध केन को घेरेंगे । इससे धसान नदी में पानी कम हो जायेगा जिसका असर माताटीला डैम पर पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो केन बेतवा में पानी देने काबिल ही नहीं बचेगी।

कैमूर की पहाडियों में अठखेलियां करने वाली केन और 500 किमी के सफर में 20 से ज्यादा बांधों से लदी बेतवा नदी है । केन नदी पर डोढन गाँव में 9,000 हेक्टेयर में बांध की झील बनेगी। केन नदी की कुल लम्बाई से कुछ कम 212 किलोमीटर लम्बी कंक्रीट की नहर से केन नदी का पानी बरुआ सागर ( झाँसी ) में बेतवा नदी में डाला जायेगा । इसमें 72 मेगावाट के दो बिजलीघर भी प्रस्तावित है, केन जबलपुर के मुवार गाँव से निकलकर पन्ना की तरफ 40 किलोमीटर आकर कैमूर पर्वत मालाओं के ढलान पर उत्तर दिशा में आती है। तिगरा के पास इसमें सोनार नदी मिलती है ।

पन्ना जिले के अमानगंज से 17 किलोमीटर दूर पंडवा नामक स्थान पर इसमें 6 नदी क्रमशः मिठासन, श्यामरी, बराना छोटी नदियों का संगम होता है ।

छतरपुर जिले की गौरिहार तहसील को छूती हुई यह बाँदा ( उत्तर प्रदेश ) में प्रवेश करती है ,रास्ते में इसमें बन्ने,कुटनी,कुसियार,लुहारी आदि सहायक नदियां मिलती हैं ।

दौधन बांध 1915 में बना था इसके समीप ही ग्रेटर गंगऊ डैम बनाया जाना है। कमोवेश बुंदेलखंड के अन्य बांधों की तरह ये सबसे बड़ा बांध विश्व बैंक के कर्ज से आदिवासी को विस्थापित करने और किसानों को पानी की लूट के लिए मजबूर करेगा । बुंदेलखंड के ईको सिस्टम का उलट जाना तो बांध के दंश में शामिल है ही।

## भू-अर्जन रद्द करने के लिए किसान संघर्ष समिति - एनएपीएम का चेतावनी धरना

30 सितंबर 2014 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसान संघर्ष समिति-जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बैनर तले किसानों ने चेतावनी धरने का आयोजन किया। पंच व्यपवर्तन परियोजना में की गई भू अर्जन की कार्यवाही को निरस्त करने, अडानी द्वारा छोटे झाड़ के जंगल पर किए गए अतिक्रमण को हटाने, सार्वजनिक रास्ते और कुओं आदि की जनता को सुपूर्दगी किए जाने एवं अडानी के साथ माचागोरा बांध के पानी को बेचने के समझौते को रद्द किए जाने की मांग को लेकर चेतावनी धरने का आयोजन किया गया। धरने में उपस्थित किसानों को जनआंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय की राष्ट्रीय संयोजक सुश्री मेधा पाटकर तथा किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सुनीलम ने भी संबोधित किया।

मेधा पाटकर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि पंच व्यपवर्तन परियोजना के खिलाफ किसान संघर्ष समिति का संघर्ष सन् 2007 से लगातार जारी है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय, देश के जन संगठनों - किसान संगठनों एवं किसान संघर्ष समिति के संघर्ष के परिणाम स्वरूप गत वर्ष सरकार को नया भू-अर्जन अधिनियम कानून 2013 बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसान संघर्ष समिति के संघर्ष के बाद ही किसानों के मुआवजे की राशि हजारों से बढ़ कर लाखों में पहुँची तथा अदानी पंच पावर प्रोजेक्ट के प्रबंधको को भी किसानों को एक लाख रूपया प्रति एकड़ सांत्वना राशि प्रदान करने को मजबूर होना पड़ा। किसान संघर्ष समिति के संघर्ष के परिणाम स्वरूप अदानी कंपनी द्वारा छोटे झाड़ के जंगल पर अवैध रूप से निर्मित चार मंजिला भवन को तोड़ने तथा उस पर 6 लाख 55 हजार जुर्माने का आदेश अधिकारियों को करना पड़ा।

किसंस भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों का लाभ लेने के लिए कसर कस कर संघर्ष कर रही है। किसानों की जमीनों का अधिग्रहण सिंचाई की आवश्यकता बताते हुए जनहित के आड में किया गया था। लेकिन पंच व्यपवर्तन परियोजना में बांध बनने के पूर्व ही बांध का पानी अदानी को मुनाफे के लिए बेच दिया गया है। इस कारण अधिग्रहण अवैध हो चुका है। अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि बहुफसलीय एवं सिंचित जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। किसानों द्वारा इस प्रावधान को लागू कराने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। नए अधिनियम की धारा 24 में उल्लेख किया गया है कि 5 साल से अधिक समय अवार्ड पारित हो चुके हैं, किंतु जमीन व मकान किसान के कब्जे में है, तो पुरानी भू-अर्जन कार्यवाही निरस्त मानी जायेगी, जहां अवार्ड पारित ही नहीं हुआ है, वहां पर नये भू-अर्जन के प्रावधान लागू होंगे, इस प्रकार किसान अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं। अब किसानों की संपत्ति को न तो डूबोया जा सकता है, और न ही बर्बाद किया जा सकता है, न ही उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जा सकता है। किसानों को उनके अधिकार से वंचित करना अपराध है, इस आशय का आवेदन पत्र जिस मकान के मालिक किसान हैं, तथा खेत जो किसान के कब्जे में है, की फोटो निकलवाकर मकान के बिजली के बिल, संपत्ति कर की रसीद भूमि में खेती करने के दस्तावेज दो प्रतियों में लेकर किसान चेतावनी धरना देने के लिये पहुँचे थे।

धरने के बाद किसानों ने अपनी संपत्ति के कब्जे और मूल मालिक के दस्तावेजों के साथ तैयार जापन जिलाधीश को दिया जिसमें मांग कि गई कि जिस संपत्ति के हम मालिक हैं, न तो डूबी जा सकती है, न तो बर्बाद की जा सकती है, न ही उसपर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जा सकता है। भारत के संविधान में यह अधिकार दिया है कि सरकार लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करें। मध्यप्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व जिलाधीश द्वारा किया जाता है। इस कारण जिलाधीश महोदय की यह जिम्मेदारी है कि वह आम लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करें।

किसान संघर्ष समिति के कुंजबिहारी पटेल, कुंजबिहारी शर्मा, सुरेश वर्मा, देवीचंद्रवंशी, झिंगा वर्मा, राजकुमार वर्मा, कलम सिंह पटेल, राधेप्याम वर्मा मेखलाल पटेल, बलराम पटेल, राकेश वर्मा, राधेप्याम वर्मा, बलराम वर्मा, रामाचंद्रवंशी, अंज

चंद्रवंशी, गणेश यादव, विनोद वर्मा, रामभरोस साहू, कृष्ण कुमार वर्मा, रूपेश यदुवंशी, दीपक माथे, नारायण वर्मा, जतराम वर्मा, नवीन चंद्रवंशी आदि किसान नेताओं ने चेतावनी धरने को संबोधित किया।

नए अधिनियम की धारा 24 में उल्लेख किया गया है कि 5 साल से अधिक समय से अवार्ड पारित हो चुके हैं, किंतु किसान जमीन व मकान के कब्जे में हैं, तो पुरानी भू-अर्जन कार्यवाही निरस्त मानी जायेगी, जहां अवार्ड पारित ही नहीं हुआ है, वहां पर नये भू-अर्जन के प्रावधान लागू होंगे, इस प्रकार किसान अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं।

इस प्रावधान को लागू कराने के लिए किसान नीचे दिए गए प्रारूप में अपने क्षेत्र के जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को सूचित कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र के साथ जिस मकान के मालिक किसान हैं, तथा खेत जो किसान के कब्जे में है, की फोटो निकलवाकर मकान के बिजली के बिल, संपत्ति कर की रसीद, भूमि में खेती करने के दस्तावेज साथ में संलग्न करें।

प्रति,

जिलाधीश

जिला ....., राज्य.....

आवेदक का नाम.....पिता का नाम.....

उम्र.....व्यवसाय.....निवास स्थान.....

तहसील..... जिला ..... राज्य.....।

विषय: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के परिपालन में कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि

मैं.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज्य.....का निवासी हूँ। मेरा मकान/कृषि भूमि .....मे स्थित है। यह संपत्ति ..... परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, दिनांक..... से आज तक मेरे मकान/कृषि भूमि का भौतिक कब्जा मेरे पास है। आज दिनांक को मैं अपने मकान में अपने परिवार के साथ निवास कर रहा हूँ तथा उक्त कृषि भूमि पर मेरा कब्जा है। मैंने उक्त भूमि पर खरीफ की फसल लगा रखी है। आज दिनांक तक जल संसाधन विभाग द्वारा मेरी अर्जित संपत्ति का कब्जा/संयुक्त परिवार की संपत्ति का कब्जा नहीं लिया गया है। आज भी मेरे द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। इस लिए उपरोक्त संपत्ति का भू-अर्जन निरस्त हो चुका है। उस पर मेरा मालिकाना हक स्थापित हुआ है।

देश के संसद द्वारा पारित कानून भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) में प्रावधान है कि उस संपत्ति पर मूल मालिक का कब्जा बरकरार है, उस संपत्ति की पूर्व की भू-अर्जन प्रक्रिया व्यपगत/निरस्त मानी जाएगी, तथा यह भी माना जाएगा की 1.1.2014 से मूल मालिक फिर से उस संपत्ति का भूमि स्वामी हो गया है।

मैं उपरोक्त संपत्ति के कब्जे में हूँ, और मूल मालिक हूँ। ऐसी उपरोक्त संपत्ति जिसका मैं मालिक हूँ, न तो डुबोयी जा सकती है, न तो बर्बाद की जा सकती है, न ही उसपर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जा सकता है। भारत के संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है कि सरकार मेरी एवं मेरी संपत्ति की सुरक्षा करें। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जिलाधीश द्वारा किया जाता है। इस कारण जिलाधीश महोदय की यह जिम्मेदारी है कि वे मेरी संपत्ति की सुरक्षा करें। मुझे मेरे अधिकार से वंचित करना अपराध होगा, इसकी सूचना जाने।

मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के परिपालन में पूर्व में अर्जित मेरी भूमि/मकान मेरे नाम पर दर्ज कर मुझे पावती (ऋण पुस्तिका) प्रदान करने का कष्ट करें।

स्थान .....

दिनांक .....

आवेदन कर्ता का नाम

हस्ताक्षर

## आप आंदोलन में हैं, तो दमन का सामना करने के लिए

30 अगस्त 2014 को डॉ सुनीलम की पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के अगुआ अभय साहू से दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अभय साहू से पोस्को आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सरकारी गठजोड़ आज जिस शांतिर तरीके से आंदोलनकारियों की आवाज़ चुप कराने में लगा है उसकी बानगी आप पोस्को विरोधी आंदोलन में देख सकते हैं। यहाँ पर 2005 से 2014 के बीच 1565 लोगों पर 230 से अधिक मुकदमें दर्ज किए जा चुके हैं। पेश है अभय साहू की बातचीत पर आधारित डॉ सुनीलम की यह रिपोर्ट;

देश के प्रमुख आंदोलनों में पोस्को विरोधी आंदोलन प्रमुख हैं। पोस्को प्रोजेक्ट से सात गांव ढिकिया, गोविंदपुर, नुआगांव, नुडियासाई, पोलांग, मुडिया पाडा, बायानड कंधा के 22 हजार ग्रामवासी प्रभावित हो रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए कुलमिलाकर 4004 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। लगातार जनआंदोलन के बाद पोस्को के प्रबंधकों ने माना कि उन्हें केवल 2700 एकड़ की आवश्यकता है। प्रबंधकों ने आंदोलन को बांटने की जीतोड़ कोशिश की। कई बार टकराव भी देखने मिला। लेकिन ज्यों ज्यों समय निकलता गया ग्रामीणों को अहसास होने लगा कि प्रोजेक्ट का समर्थन करना बेकार है तथा उन्हें प्रबंधकों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। हालही में प्रोजेक्ट के समर्थक और विरोधी एकजुट दिखलाई पड़े। उन्होंने 4 माह पहले पोस्को ट्राजिंट कार्यालय को जला दिया तथा 180 फिट की जो दीवार बनाई गई थी उसको तोड़ दिया। एकजुटता इतनी तगड़ी थी कि प्रबंधकों की हिम्मत मुकदमा दर्ज कराने की भी नहीं हुई। अब जिन्हें प्रोजेक्ट समर्थक माना जा रहा था वे हर हालत में प्रबंधकों द्वारा प्रभावितों को रोजगार देने के आश्वासन को लागू करने पर आमादा हैं। वे चाहते हैं कि पुनर्वास तथा प्रभावित इलाकों को विकसित करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वह प्रबंधकों द्वारा दिए गए आश्वासन को लागू कराए। सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 2700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि 2700 एकड़ में ग्रामवासियों ने पान की खेती फिर से शुरू कर दी है। सरकार द्वारा 32 लोगों पर केस दर्ज कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जून 22, 2005 को सरकार ने

पोस्को के साथ समझौता किया था। 11 जुलाई 2005 को पोस्को विरोधी आंदोलन की नींव पड़ी, भुवनेश्वर में सभा हुई, गिरफ्तारियां भी हुईं। अब तक 2005 से 2014 के बीच 1565 लोगों पर 230 से अधिक मुकदमें दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन चालान पेश होने के बावजूद कोई भी प्रकरण की ट्राईल न्यायालय में शुरू नहीं हुई है। केवल आंदोलन के मुखिया पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के अध्यक्ष अभय साहू पर हत्या का फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। अब तक अभय साहू पर 37 मुकदमें दर्ज हुए हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारियां भी होती रही हैं। एक बार 12 अक्टूबर 2009 से 21 अगस्त 2010 तक 37 प्रकरणों में जेल में रखा गया। 25 नवंबर 2011 से मार्च 2012 तक 14 प्रकरणों में जेल में रहे। 10 प्रकरणों में 12 मई 2013 से 30 नवंबर 2013 तक अभय साहू जेल में रहे। अब तक अभय साहू पर छः बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। एक बार हमला तब हुआ जब वे चार साल पहले सुबह घुम रहे थे। दुसरी बार हमला सरकार द्वारा पारित सड़क के निर्माण के खिलाफ धरना दे रहे 150 लोगों के समक्ष हथगोलों से हुआ। एक बार ढिकिया में बास के गेट पर हुआ जहां सदा मीटिंग होती है। एक बार पटना गांव में जिस घर में मीटिंग चल रही थी वहां हमला हुआ तीन साथी मारे गए, लेकिन अभय साहू बच गए। गोविंदपुर में भी धरने के दौरान गुण्डों द्वारा हमला किया गया। इसी तरह एक और धरने के दौरान टेन्ट में आग लगा दी गई लेकिन अभय साहू बच गए। पोस्को विरोधी आंदोलन की खासियत यह है कि इस आंदोलन को सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के अलावा सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। यूं तो अभय साहू


जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय काउंसिल के सदस्य हैं। उनका बेटा भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राज्य का सचिव है तथा सी.पी.आई. के पूर्व महामंत्री एवं वरिष्ठतम नेता ए.बी. वर्धन सदा आंदोलन क्षेत्र में आते रहे हैं। कॉमरेड डी. राजा तथा एनी भी लगातार पॉस्को क्षेत्र का दौरा करती रही हैं। परन्तु आंदोलन को सभी दलों का सतत् समर्थन प्राप्त होता रहा है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह अंदेशा था कि आंदोलन का राजनैतिक समर्थन सिकुड़ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी मंत्रिमण्डल में आदिवासी क्षेत्रों के मंत्री जुबेल ओराम आज भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पॉस्को प्रोजेक्ट के लिए खण्डाधार खदानों से माल प्राप्त होना है। जुबेल ओराम कह चुके हैं कि खण्डाधार की खदानों से वे खनिज नहीं निकलने देंगे, चाहे पॉस्को बने या न बने। ऐसा कहना और करना उनकी स्वेच्छा नहीं राजनैतिक मजबूरी है। यदि वे पॉस्को का समर्थन करते हैं तो चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी राजनीतिक मौत होने का अंदेशा है इस कारण वे आंदोलनकारियों के साथ मैदान में डटे हुए हैं। प्रोजेक्ट का भविष्य केवल भूमि अधिग्रहण पर निर्भर नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए यदि खदानें नहीं मिल पातीं तथा पारादीप पोर्ट के पास नया पोर्ट नहीं बन पाता तो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। वस्तुस्थिति यह है कि सभी मिलकर पारादीप के नजदीक पॉस्को पोर्ट बनाने का विरोध कर रहे हैं। पहले जो लोग उत्साहित हुआ करते थे वे भी अब ठण्डे पड़ गए हैं। पॉस्को आंदोलन की खासियत यह है कि यहां जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है वह निजी जमीन नहीं है। वह शासकीय जमीन है जिसपर लंबे अरसे से ग्रामीण खेती करते आ रहे हैं। जो लोग आंदोलन को नहीं जानते उन्हें यह गलत फहमी है कि यह आंदोलन आदिवासियों की जमीन से संबंधित है जबकि वास्तविकता यह है कि जहां ज्यादातर ग्रामीण पिछड़ी जातियों- खण्डाईत, चौसा, मछुआरा समाज, नुडिया जाति के हैं। पॉस्को का भविष्य इस बात पर जरूर निर्भर करेगा कि खण्डाधार में प्रोजेक्ट को खदानें मिल पाती हैं कि नहीं। फिलहाल तो उम्मीद दिखती है कि खदान मिलना मुश्किल है लेकिन यदि मिल जाती हैं तब स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है। पॉस्को पोर्ट का

निर्माण होना भी कठिन दिखलाई पड़ता है ऐसी स्थिति में आंदोलन के चलते मित्तल कंपनी को भागना पड़ा उसी तरह यदि कोरिया की कंपनी को भागना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। असल में यह माहौल का असर है पटनागढ़ में 12 टन का समझौता 3 साल पहले हुआ था, लेकिन जन आंदोलन के चलते 1 इंच जमीन का भी अधिग्रहण नहीं किया जा सका। जबकि पॉस्को जगतसिंगपुर जिले में है तथा पटनागढ़ 400 किमी दूर क्यौंझर जिले में। आंदोलन का असर सुन्दरगढ़ जिले, खण्डाधार में भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। जो पॉस्को इलाके से 600 किमी दूर है। नियामगिरी तथा वेदांत 'पुरी' में जनआंदोलन के चलते अदालत के फैसले से लड़ाईयां जीती जा चुकी हैं। पॉस्को विरोधी आंदोलन के साथ साथ ओडिशा में रायगढ़ा, क्यौंझर, कालाहांडी, सुन्दरगढ़, जगतसिंगपुर, पुरी, जांजपुर, नाराज जिलों में तीव्र जनआंदोलन चल रहे हैं। देखना यह है कि नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार और नवीन पटनायक की ओडिशा सरकार जनआंदोलनों के प्रति क्या रुख अपनाती है। उम्मीद तो यह है कि आने वाला समय जनआंदोलनों के लिए कठिन समय होगा। सरकारें दमनकारी रुख अपनाएंगी क्योंकि चुनाव कारपोरेट के पैसे से अर्थात् कारपोरेट के सीधे हस्तक्षेप से लड़ा और जीता गया है। ऐसी स्थिति में भीषण टकराव से इंकार नहीं किया जा सकता है। आज जो आंदोलन चल रहे हैं वे अहिंसक हैं। केवल कलिंगनगर के आंदोलन के माओवादियों से संबंध होने का आरोप सरकार द्वारा लगाया जाता है। उल्लेखनीय है कि कलिंगनगर की पुलिस फायरिंग में 13 निर्दोष एवं निहत्थे नागरिक मारे गए थे तथा 5 वर्षों से अन्ना रेड्डी और उनके 3 साथी जेल में हैं। सरकार पॉस्को विरोधी आंदोलन के प्रति दमनकारी तथा बदनाम करने वाले रवैया शुरू से अपनाती रही है। मोदी सरकार बनने के बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट लीक की गई, उसमें पॉस्को विरोधी आंदोलन का नाम विदेशी धन लेकर देश की आर्थिक तरक्की में बाधा पैदा कर विकास दर को 2 से 3 प्रतिशत तक कम करने वाले जनआंदोलनों में शामिल किया गया है।

दिल्ली

## निवेश का माहौल खराब करने के आरोप में प्रदर्शनकारी लिए गए हिरासत में

- कुमार सुंदरम



आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के भारत दौरे के खिलाफ दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित दूतावास के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को 4 सितम्बर 2014 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नजदीकी थाने में बिठाए रखा. बातचीत के दौरान चाणक्यपुरी पुलिस थाने के एस पी ने आरोप लगाया

कि ऐसे प्रदर्शन देश में निवेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं.

जात हो कि दिल्ली में यह प्रदर्शन भारत-आस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे यूरेनियम आपूर्ति समझौते के खिलाफ आयोजित किया गया था. देश के सभी परमाणु ऊर्जा-विरोधी आन्दोलनों के साथ-साथ प्रमुख समाजकर्मियों और जनांदोलनों ने भी इस डील का विरोध किया है क्योंकि इससे उन परमाणु संयंत्रों को ईंधन मिलेगा जिनके लिए हजारों किसानों-मछुआरों को विस्थापित किया जा रहा है और पर्यावरणीय नियमों तथा सुरक्षा मानकों को ताक पर रख कर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कारपोरेटों को निमंत्रित किया जा रहा है, जो फुकुशिमा के बाद पूरी दुनिया में घाटा झेल रहे हैं.

दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया में भी उन अश्वेत मूलनिवासियों की तकलीफ यूरेनियम खनन कारोबार के विस्तार के साथ बढ़ेगी, जिनकी ज़मीन पर असुरक्षित ढंग से ऑर जीविकाओं तथा पर्यावरण का भारी नुकसान करने के लिए आस्ट्रेलियाई खनन कंपनियां कुख्यात हैं. इस सिलसिले में एक दर्जन से अधिक आस्ट्रेलियाई नागरिक संगठनों ने भारत के आंदोलनकारियों के समर्थन में पत्र जारी किया और अपना समर्थन जताया.

भारत में यहां विकास और निवेश की परिभाषा तय कर दी गयी है और इस पर अब नागरिक अपनी राय रखें पर अब अर्थशास्त्रियों और नागरिकों की नहीं, पुलिस की राय अंतिम होगी.

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच परमाणु डील दोनों तरफ के धनी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने और गरीबों-ग्रामीणों की जिंदगियों की कीमत पर ,मुनाफ़ा बढ़ाने की कारवाई होगी. इसके विरोध के लिए आम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी.

भारत - ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील से दोनों देशों के स्थानीय  
लोगों को नुकसान : ऑस्ट्रेलिया से आया भारतीय  
आंदोलनकारियों के नाम समर्थन पत्र



ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट एक नाभिकीय समझौते को अंतिम रूप देने भारत आए ।

4 सितम्बर 2014 को ऑस्ट्रेलियाई 14 जनसंगठनों ने भारतीय आंदोलनकारियों के नाम समर्थन पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने अपने यहां का हाल बताते हुए अपील की है कि भारत की संस्कृति को नाभिकीय ऊर्जा से तबाह न करें। पत्र अंग्रेजी में है जिसकी मूल प्रति [DiaNuke.org](http://DiaNuke.org) पर प्रकाशित है। इस पत्र का हिंदी तर्जुमा [अभिषेक](http://अभिषेक) भाई ने किया है जिसे हम संघर्ष संवाद में प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रिय जैतापुर, कुडनकुलम, कोवाडा, मीठीविर्दी, कैगा, चुटका, रावतभाटा, फतेहाबाद, तारापुर और कलपक्केम के साथियों,

भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा 2012 के बाद से किए गए परस्पर यूरेनियम व्यापार संधियों के विरोध में आपके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हम यह संदेश भेज रहे हैं। टोनी एबट आपके देश में ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम का निर्यात करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ जो समझौता करने जा रहे हैं, वह ऑस्ट्रेलिया की दो-तिहाई आबादी की मर्जी के खिलाफ है।

हम मांग करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात की संधि को रोका जाए और ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के मौजूदा निर्यात पर रोक लगाए। यूरेनियम उद्योग यहां छोटा लेकिन बेहद जहरीला उद्योग है और हम नहीं चाहते कि रेडियोधर्मिता की विरासत हमारे देश से आपके देश में जाए। हम इस बात को जानते हैं कि फुकुशिमा में हुई तबाही के पीछे ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम ही था जिसने अब जापान को इतना संक्रमित कर डाला है कि इस स्थिति को पलट पाना अब असंभव है। फुकुशिमा हादसे के बाद मिरार समुदाय (उस क्षेत्र के पारंपरिक मूलवासी और ज़मीन मालिक, जहां रेन्जरर यूरेनियम खदानें स्थित हैं) की ओर से योने मार्गरुला ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान-की मून को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ने अपने देश से निर्यात किए गए रेडियोधर्म पदार्थों से हुए नुकसान पर भारी खेद जताया था। उन्होंने लिखा था, "इस उद्योग का हमने अतीत में भी कभी समर्थन नहीं किया और भविष्य में भी हम ऐसा नहीं करेंगे। फुकुशिमा में जो हो रहा है, उस पर हम सब बेहद शर्मिंदा हैं।"

हमें पता है कि भारत में नाभिकीय उद्योग के हाथों मूलवासी लोगों, कामगारों और गरीबों का कैसा शोषण हो रहा है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदानों के करीब रहने वाले लोगों को हो रही बीमारियों के बारे में काफी दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे हम वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के खिलाफ जनांदोलनों को कैसे बर्बर तरीके से सरकारों द्वारा कुचला जा रहा है, जिसका एक उदाहरण इदिथकरई के लोग हैं जो कुडनकुलम संयंत्र के साये में जीने को मजबूर हैं। हम आपके यहां अपर्याप्त श्रम कानूनों और पर्यावरण संरक्षण नियमों को लेकर भी चिंतित हैं।

भारत सरकार द्वारा उसके नाभिकीय हथियार कार्यक्रम को विस्तार दिए जाने के अडियल रवैये पर हम हतप्रभ हैं। उतना ही ज्यादा आश्चर्य हमें ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने के संकल्प पर भी होता है जबकि उसे मालूम है कि इसके चलते भारत अपना घरेलू यूरेनियम भंडार ज्यादा से ज्यादा नाभिकीय हथियार बनाने में लगा जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व प्रमुख के. सुब्रमण्यम ने 2005 में इस बारे में कहा था- “चूंकि भारत में यूरेनियम की कमी है और हमें जल्द से जल्द अपना नाभिकीय जखीरा तैयार करना है, इसलिए यह हमारे लिए लाभकारी होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नाभिकीय रिएक्टरों को नागरिक रिएक्टर की श्रेणी में डाल दें जिनका परिचालन आयातित यूरेनियम से हो ताकि हम अपने घरेलू यूरेनियम ईंधन को हथियार उत्पादन हेतु प्लूटोनियम बनाने में लगा सकें।”

ऐसा पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे देश को यूरेनियम बेचेगा जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं और जो खुलेआम हथियारों की दौड़ में लिप्त है। ऑस्ट्रेलिया से हो रहा यूरेनियम निर्यात तो पहले से ही एक खतरनाक उद्योग के काम आ रहा था, अब भारत के साथ उसका समझौता किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी को भी ताक पर रख देगा।

अकसर भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस समझौते के पीछे गांवों में बिजली लाने का तर्क दिया जाता है जिससे ग्रामीण गरीबों का विकास होगा। हम जानते हैं कि भारत का नाभिकीय उद्योग अभिजात वर्ग के हित में है और जनता से उसने जो वादे किए हैं वे आज तक पूरे नहीं हुए। हम यह मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ही तर्ज पर भारत में भी इस उद्योग की मार अकेले मूलवासी समुदाय पर ही पड़ेगी। भारत में नाभिकीय परियोजनाओं के खिलाफ चल रहे सतत प्रतिरोधों से हम प्रेरणा लेते हैं।

भविष्य की ऊर्जा नाभिकीय नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर के देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करें। ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाला यूरेनियम निश्चित तौर पर रेडियोधर्मी कचरे को जन्म देगा, रेडियोधर्मी हादसों को पैदा करेगा या भारत में नाभिकीय हथियारों के उत्पादन का रास्ता आसान करेगा। इस जोखिम का बोझ उठाना हमें स्वीकार्य नहीं है और हम मांग करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया-भारत संधि को तत्काल रोका जाए।

परमाणु मुक्त भविष्य के लिए एकजुटता में

Friends of the Earth

Environment Centre Northern Territory

Beyond Nuclear Initiative

Uranium Free NSW

Medical Association for Prevention of War

Anti-Nuclear Alliance of Western Australia

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Nuclear Operations Watch Port Adelaide

Conservation Council of Western Australia

Gundjeihmi Aboriginal Corporation

Australian Conservation Foundation

Public Health Association of Australia

Queensland Nuclear Fee Alliance

People for Nuclear Disarmament W.A.



## सैन्यवाद, परमाणुकरण और राजकीय दमन के विरोध में उठी आवाजें



परमाणु निरस्त्रीकरण एवं शान्ति गठबंधन(CNDP) द्वारा दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 30-31 अगस्त, 2014 को सैन्यवाद, परमाणुकरण और राजकीय दमन के विरोध में आयोजित किया गया। पेश है राष्ट्रीय सम्मेलन की संक्षिप्त रिपोर्ट-

दिल्ली में नई सत्ता के आने के बाद हुए अपने किस्म के पहले जुटान में मेधा पाटकर, पी. साईनाथ, एडमिरल रामदास, एस.पी उदयकुमार, प्रफुल्ल बिदवई, ज्यां ट्रेज़ और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ते सैन्यकरण, नाभिकीय ऊर्जा की सनक और जनांदोलनों व अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बढ़ते राजकीय दमन के चलते भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों को प्रकाशित किया और इनके खिलाफ अपनी सामूहिक आवाज़ उठायी।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल रामदास ने राजनीतिक दक्षिणपंथ की ओर बढ़ते हुए ध्रुवीकरण की परिस्थिति में नागरिक समाज और बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल दिया।

प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ ने नाभिकीय हथियारों और युद्ध से जुड़ी पत्रकारिता में सरकारी संस्करण को सामने लाने पर चिंता जताते हुए बताया कि कैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिका

ने बम बरसाया था तो पश्चिमी मीडिया ने किस तरह इस घटना का काफी जश्न मनाया था और भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस हमले के पक्ष में रिपोर्टिंग करते हुए मानवीय विनाश की खबर को सिरे से गायब कर दिया था। उन्होंने कहा कि वैश्विक राजनीति में नाभिकीय युग ही था जिसने पत्रकारिता को दो हिस्सों में बांट दिया जिसमें एक बिरादरी स्टेनोग्राफरों यानी सरकारी संस्करण रिपोर्ट करने वालों की थी और दूसरी जमात पत्रकारों की थी। उन्होंने कहा कि स्टेनोग्राफरों की यह बिरादरी अब धीरे-धीरे कॉरपोरेट स्टेनोग्राफरों में तब्दील होती जा रही है। उनके बाद सभा को संबोधित करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने कहा कि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं जारी है बल्कि इस देश की हर सीमा पर, हर समुद्रतट पर, हर नदी और हर गांव में एक जंग चल रही है।

उन्होंने कहा कि विकास की भाषा, सार्वजनिक भलाई और इंसान की मनुष्येतर उपलब्धियों की भाषा में

हिंसा का एक माहौल देश में निर्मित किया जा रहा है। यही भाषा अब लोकतंत्र की भाषा बन चुकी है और आज मीडिया व सूचना विस्फोट के दौर में भी हर तरफ हमले जारी हैं।

पत्रकार प्रफुल्ल बिदवई ने कहा कि नाभिकीयकरण के संबंध में जो वादा किया गया था वह अब टूट चुका है कि नाभिकीय ऊर्जा स्वच्छ, प्रबंधन योग्य और पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि नाभिकीय ऊर्जा में करोड़ों डॉलर का निवेश किया जा चुका है उसके बावजूद कोई भी बीमा कंपनी इसे सुरक्षित मानते हुए इन परियोजनाओं को बीमित करने को अब तक तैयार नहीं हुई है लिहाजा ये परियोजनाएं बाजार की कसौटी पर भी नाकाम साबित हो चुकी हैं। कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र विरोधी आंदोलन के नेता एस.पी. उदयकुमार ने जनांदोलन को राष्ट्रविरोधी और राजद्रोही करार दिए जाने के खिलाफ कठोर आपत्ति जतायी। उन्होंने कहा, “नाभिकीय निर्वाण हमारी मुक्ति के लिए नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य अमेरिकी, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियाई और अन्य उद्योगों के लिए है।”

प्रो. अचिन विनायक ने नाभिकीयकरण की दिशा को उलटने के लिए दुनिया भर में परमाणु विरोधी ताकतों की एकजुटता का माहौल निर्मित करने पर बल दिया।

सैन्यकरण के सत्र में ज्यां ट्रेज़, सबीका ज़ेहरा, ऋतिका खेड़ा और प्रदीप जगन्नाथन ने इस पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि इसका विरोध एक नैतिक, तार्किक और प्रबोधनवादी अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बढ़ते सैन्य बजट, इज़रायल जैसे सैन्य राष्ट्रों के साथ बढ़ती करीबी और श्रीलंका, कश्मीर व पूर्वोत्तर पर भारत के दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष के बारे में अपनी बातें रखीं।

सम्मेलन के दूसरे दिन दिल्ली के कॉन्सटिट्यूशन क्लब में बिनायक सेन, वृंदा गोवर, नंदिनी सुंदर, निवेदिता मेनन, कविता कृष्णन और बिमोल अजोइकम ने बढ़ते राजकीय दमन व भारतीय लोकतंत्र के लिए उसके प्रभाव पर अपने विचार रखे।

## नरेंद्र मोदी के नाम फुकुशिमा से एक पत्र

*भारत-जापान की प्रस्तावित परमाणु संधि का जापान की जनता में गहरा विरोध है। 28 अगस्त 2014 को जापान के फुकुशिमा से एक महिला युविको ताकाहाशी ने नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने अपने यहां का हाल बताते हुए मोदी को कहा था कि वे भारत की संस्कृति को नाभिकीय ऊर्जा से तबाह न करें। पत्र जापानी में था जिसकी मूल प्रति और अंग्रेजी तर्जुमा DiaNuke.org पर प्रकाशित है। उस पत्र का हिंदी तर्जुमा हम [जनपथ](#) से साभार प्रकाशित कर रहे हैं।*

सेवा में,  
श्री नरेंद्र मोदी  
प्रधानमंत्री, भारत  
प्रिय प्रधानमंत्री जी,  
मेरा घर फुकुशिमा में है। मैं भारत-जापान नाभिकीय संधि पर दस्तखत करने और आपके देश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या बढ़ाने की आपकी योजना को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर करना चाहूंगी।

क्या आपको पता है कि फुकुशिमा दाइ-ची की मौजूदा स्थिति क्या है? कृपया फुकुशिमा आकर खुद

देख लीजिए कि यहां क्या हो रहा है।

तीन साल से ज्यादा हो गए यहां नाभिकीय हादसा हुए, लेकिन यह अब तक जारी है। वास्तव में, यह तो बस समस्याओं की शुरुआत भर है।

रेडियोधर्मी पानी अब भी समुद्र में बह कर जा रहा है और इसे रोकने के तरीकों पर शोध हाल ही में शुरू हुआ है।

विकिरण का स्तर इतना ज्यादा है कि प्लांट के विशेषज्ञ एक्सपोजर के तय स्तरों से पार जा चुके हैं लिहाजा इस तबाही को नियंत्रित करने के लिए यहां पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं।

हमें बताया गया है कि फुकुशिमा दाइ-ची को बंद करने में 30 साल लग जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात में यह बता पाना असंभव है कि इस हादसे को कब तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

फुकुशिमा के मछुआरों की रोज़ी-रोटी छिन चुकी है। सुनामी से नावों को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी वे अब मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि समुद्र के पानी में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं। कोई नहीं जानता कि समुद्र साफ़ कब हो जाएगा, दोबारा यह जीवनदायी कैसे बन जाएगा।

फुकुशिमा के किसान भी विकिरण के स्तर से पीड़ित हैं जो कम नहीं हो रहा। किसी इलाके को अगर एक बार साफ़ कर भी दिया जाता है, अस्थायी तौर पर भी विकिरण का स्तर कम हो जाता है, तो दोबारा यह बढ़ने लगता है। क्या वह दिन कभी आ जाएगा जब हमारी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी धरती एक बार फिर से उर्वर बन सके?

ज़रा सोच कर देखिए एक बार, कि जो काम आपके लिए इतना मायने रखता है उसे खो देने पर आपको कैसा महसूस होगा। इतने अस्पष्ट भविष्य के साथ जीना कितना मुश्किल होगा।

ऐसे करीब एक लाख से ज्यादा लोग थे जिन्हें अपने घर खाली करने पड़े जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे, क्योंकि अब उनका घर "संक्रमित क्षेत्र" में आ चुका है। इनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए स्वेच्छा से अपने घर छोड़ दिए। परिवार के परिवार बिखर गए और तमाम लोग आज छोटी-छोटी आवासीय इकाइयों में सिमट गए हैं। इस नाभिकीय हादसे में हमने अपनी जिंदगी, आजीविका, घर, सब कुछ खो दिया। वे सारी चीज़ें गंवा दीं जिनके लिए इंसान जीता है।

में शर्त लगा सकती हूँ कि आप यही सोचते होंगे कि इस नाभिकीय हादसे में तो कोई नहीं मरा। यदि यह सिर्फ़ भूकंप और सुनामी होता, तो फंसे हुए लोगों को बचाया जा सकता था। चूंकि यहां नाभिकीय हादसा भी हुआ था, इसलिए बचावकर्मी उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों में जा ही नहीं सके। उन्हें फंसे हुए लोगों की चीख-पुकार सुनाई देती रही, इसके बावजूद वे उनका कोई जवाब नहीं दे पाए।

जापान में हमें 40 साल से बताया जाता रहा है कि नाभिकीय प्लांट "पूरी तरह सुरक्षित" हैं। इसके बावजूद यह हादसा हुआ। इतना ही नहीं, इस हादसे का कारण अब भी पूरी तरह पता नहीं चल सका है और तबाही जारी है। कोई नहीं जानता कि यह सिलसिला कब थमेगा।

हमने पाया है कि "नाभिकीय ऊर्जा का स्वच्छ ऊर्जा" होना भी एक झूठ है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को लगातार ठंडा किया जाना होता है। इसमें समुद्र का पानी काम आता है जो ठंडा करने के बाद उच्च तापमान पर वापस समुद्र में पम्प कर दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्लांट के कारण समुद्र का तापमान बढ़ता है। यह एक तथ्य है कि जब से फुकुई प्रिफेक्चर में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद किया गया है, समुद्र के आसपास की कुदरती पारिस्थितिकी नए सिरे से बहाल हुई है।

नाभिकीय ऊर्जा बहुत खर्चीली भी होती है। ईंधन और रखरखाव का तो जो खर्च है वो आता ही है लेकिन अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो मुआवज़े के तौर पर दी जाने वाली रकम बहुत बड़ी होती है।

और आखिरी बात ये कि फ्रांस जैसे विकसित देश भी अब तक नाभिकीय कचरे के निस्तारण का कोई रास्ता नहीं खोज पाए हैं। जापान में तो हम उस कचरे को आओमोरी प्रिफेक्चर स्थित रोक्काशो-मुरा सुविधा केंद्र पर इकट्ठा करते आए हैं- इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है।

नाभिकीय हादसे में जो भारी कचरा पैदा होता है... रेडियोधर्मी तत्वों से प्रदूषित धरती और अन्य चीज़ों को तो फिर भी जलाया जा सकता है, लेकिन आप बचे हुए उच्च रेडियोधर्मी ऐश (राख) का क्या करेंगे? फिलहाल तो स्थिति यही है कि इसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया है या फिर फुकुशिमा के पुराने भव्य मकानों के परिसर में रख छोड़ा गया है।

रेडियोधर्मी तत्वों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। इंसान को चेर्नोबिल और फुकुशिमा के हादसों से यह सबक अब सीख लेना चाहिए।

पेड़ों पर चढ़ना, नदी किनारे आराम करना, समुद्र तट पर खेलना, ऐसी सामान्य चीज़ें भी अब मेरे शहर में मुमकिन नहीं रह गई हैं। मेरे बच्चे तो खैर ये काम अब नहीं ही कर पाएंगे क्योंकि वे रेडियोधर्मिता से चौतरफा घिरे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि भविष्य में इसका उन पर क्या असर होगा।

मांओं को डर है कि कहीं उनके दूध में रेडियोधर्मी पदार्थ न घुल गए हों। विकिरण के प्रभाव में आई लड़कियों को शंका है कि वे कभी बच्चे जन पाएंगी या नहीं। हो सकता है कि यह सब किसी विज्ञान के गल्प जैसा जान पड़ता हो, लेकिन फुकुशिमा में जिंदगी फिलहाल ऐसी ही है। और अकेले फुकुशिमा ही संक्रमित नहीं है। रेडियोधर्मी पदार्थों के महीन कण तकरीबन समूचे पूर्वी जापान में बिखरे पड़े हैं।

हवा में सांस लेते हुए, खाना खाते हुए या घास पर लेटे हुए सुरक्षित महसूस करने जैसी रोज़मर्रा की सामान्य चीज़ें भी अब हम नहीं कर पाते, जो कि हमारे वजूद का सहज हिस्सा हैं।

क्या आप भारत में यही करना चाह रहे हैं?

मैं आपके देश कभी नहीं गई लेकिन मुझे भारतीय चीज़ें पसंद हैं, खासकर भारत का खाना। इसमें दिलचस्पी के चलते ही मैंने कुछ सूचनाएं जुटाई हैं और भारत के बारे में मेरी एक धारणा विकसित हुई है। मुझे लगता है कि भारत एक बेहद संस्कृति-संपन्न देश रहा है।

नाभिकीय ऊर्जा इस संस्कृति को तबाह कर देगी। क्यों? क्योंकि यह लोगों की जिंदगियों को बरबाद कर देती है, जिसका संस्कृति के साथ चोली-दामन का साथ होता है।

फुकुशिमा में बिल्कुल यही तो हुआ है और मैं उसकी गवाह हूं। यह बात मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कह रही हूं। भारत के चमकदार भविष्य के लिए नाभिकीय ऊर्जा ज़रूरी नहीं है।

यदि आपको वाकई लगता है कि वह ज़रूरी है, तो आप फुकुशिमा आएँ और यहां की हकीकत को अपनी नंगी आंखों से खुद देख लें।

सादर,  
युकिको ताकाहाशी

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक पत्रिका है। जून 2012 से इसके वेब-संस्करण ([sangharshsamvad.org](http://sangharshsamvad.org)) की शुरुआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनसंघर्षों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी [sangharshsamvad@gmail.com](mailto:sangharshsamvad@gmail.com) पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

## संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्स: 011-26968121/26858940

ईमेल: [sangharshsamvad@gmail.com](mailto:sangharshsamvad@gmail.com)